12.34 hrs.

CORRECTION OF REPLY TO DE-BATES ON THE IRON ORE MINES LABOUR WELFARE CESS BILL IN THE LOK SABHA ON THE 8TH DECEMBER, 1961.

The Deputy Minister of Planning and Labour and Employment (Shri L. N. Mishra): In connection with a question raised by Shrimati Renu Chakravartty about the implementation of minimum wages, I had stated in the House "that we have already decided to implement the Minimum Wages Act among the iron ore mine workers, along with four other mines. The State Governments have been asked to implement it because the administration of this Act is in their hands as they have to implement the provisions of this Act."

The correct position is that the implementation of the Minimum Wages Act in respect of iron ore mines is the responsibility of the Central Government and it has been decided that the Central Government should itself undertake the fixation of the minimum wages for employments in these mines after it is formally added to the Schedule by a notification under Section 27 of the Minimum Wages Act

12.35 hrs.

# HINDI SAHITYA SAMMELAN BILL—contd.

Mr. Speaker: The House will now proceed with further consideration of the following motion moved by Dr. K. L. Shrimali on the 29th March 1962, namely:—

"That the Bill to declare the institution known as the Hindi Sahitya Sammelan having its head office at Allahabad to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and matters connected there-

with, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration".

Two hours were allotted, out of which 1 hour and 15 minutes have been taken already. How long is this likely to go on?

**Shri Braj Raj Singh** (Firozabad): It may be extended upto 2.30 p.m. and then non-official business taken up.

Mr. Speaker: What about the Motion Vijnan Mandirs:

An Hon. Member: It is another sahitya.

Mr. Speaker: Do hon. Members not want to take it up?

Some Hon. Members: No.

Mr. Speaker: All right. If they do not want it, debate on this will go on till 2.30 P.M. when Private Members' business will be taken up.

Shri Raghubir Sahai (Budaun): Mr. Speaker, Sir, I am here to move the Motion regarding Vijnan Mandirs.

Mr. Speaker: What about the House?

Shri Braj Raj Singh: We do not, want it.

12.36 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

Shri N. R. Muniswamy (Vellore): I was speaking yesterday about the Chief Ministers' Conference where several recommendations had been adopted one of which was the adoption of the Devanagari script. I take it that this is not mandatory, but only recommendatory. The reason why I say so is that if it is accepted the Devanagari script has to be adopted for other languages also.

Here I find in clause 6(c) dealing with the functions of the Sammelan:—

"to work for the promotion, development and advancement of

[Shri N. R. Muniswamy]

Devanagari script, and to print and publish literature of other Indian languages in Devanagari script".

I appreciate that for any nation, there must be one language which is common. But so far as our country is concerned, we have got other languages also. The greatness of a nation depends not on political unity alone but on the universal language that it has established. I quite appreciate that we must have an established But the enthulanguage for India. siasm which we exhibit in having Hindi as the national language is going beyond a certain limit. Instead of going slow, it goes very fast. Such sort of hastening causes irritation. We have to create conditions of conciliation for the ultimate acceptance of one language. Having known the viewpoint of South Indians generally, to insist upon this would lead to certain incidents. I only want that we must go slow. I only wish that this recommendation of the Chief Ministers' Conference should only be a recommendation and not a mandate.

Before dealing with some of the provisions of the Bill, I may be permitted to state that we must have a national language for this country. But the enthusiasm which we exhibit is such that it will create certain conditions of conflict. The that we adopt in creating enthusiasm for Hindi in the areas where Hindi is very popular and not in the non-Hindi-speaking areas are not very conducive to the attainment of object. The enthusiasm is only there but not elsewhere. It must reverberate and percolate in areas where Hindi is not the mother tongue.

This Bill is called the Hindi Sahitya Sammelan Bill. Translated into English, it means 'Hindi Literary Conference Bill'. So the title of the Bill should be the Hindi Association Bill instead of the Hindi Literary Conference Bill'.

In this Bill, there is provision for this Sammelan or Association, as the case may be, to have its headquarters only at Allahabad. Instead of having one headquarters, it is always better in a matter of this kind to have four headquarters, east, west, south north. This Association or Sammelan has been functioning for the last 50 years from one place only. To give it a national status now and to create conditions for spreading Hindi that centre alone will not be a workable proposition. We should such headquarters-not branches-in all the four corners of India if we really want to achieve success in our endeavour.

Another thing I would suggest that the Central Government at their own cost must provide for teachers in elementary schools in all these areas. We should not rely on the State Governments to do this; it may not be possible for them to give that much of attention or show that much of enthusiasm which we would otherwise like to from our angle. fore, for the propagation of Hindi in non-Hindi areas, we must Hindi teacher in each elementary school in these areas at the expense of the Central Government.

The other provision which I find is this. Here is a governing body 55 members. Initially, we are having a smaller number; but the maximum is 55. It looks as if it is a miniature State legislature consisting of members. It is, I should say, as big as the U.P. Cabinet. I may be pardoned; it may not have 55 members; it may have 45 or 46; and a few more additions to satisfy some of the dissidents would bring it to 55. We should not have such a huge body. We cannot justify the necessity having such a huge body. I need not be mistaken if I say it will lead to a motley crowd. We know how Hindi enthusiasts are clamouring for getting milk and honey overnight. We are expecting milk and honey to flow in all the rivers; but it must take time. They want to have this Hindi spread overnight.

If these 55 persons are there each having his own interest and point, it will lead to some difficulties. It is always better to have a compact body. Compactness will always lead to greater efficiency and it will also lead to precision. This huge motley crowd will create conditions of dissension, conflicts and various other This fact must be borne in things. mind. It may be that to suit some persons they have made this provision. I submit that it should be suitably modified, if not now, at least at some other time.

The governing body, to begin with, will consist of 15 members. It said that the number will be, members, plus one Chairman and one Secretary. Then, the others would be added later on. But for purposes of quorum they are having the number as 3. To carry on the deliberations, 3 are enough. The Chairman is already there; the Secretary is also there; and they can pakadao one more and then they can have 3. It is not right. They must have at least 5 or 6. This also should be borne in mind. A modification should be effected; otherwise, it would lead to some difficulty.

So far as the numerals are cerned, the Constitution definitely says that they must be international numerals. They should not be Hindi numerals. In the Ministry's other publications the Hindi numerals are put in. They seem to feel, 'we have got Hindi; why not have Hindi But the Constitution numerals?'. definitely provides that we should have international numerals. should also be borne in mind. It is just possible that people might resort to Hindi numerals also. The international numerals should be used in order to create a common ground in the non-Hindi areas also. At least

from the page numbers we can find out what is being referred to.

I find that in the motor cars in Delhi even the number plates are in Hindi. If any accident happens, I may not be able to bring that to the notice of the police because I cannot read the number. I am not bothered about it. But it should be borne in mind that international numerals have to be used.

I appreciate that for national integration we must have Hindi. But they should not go about it in the way they are doing. The enemies of Hindi are the Hindi people themselves. The non-Hindi people are not enemies; but the way the Hindi people behave sometimes causes irritation. Otherwise, there is nothing wrong in Hindi. One day or the other, if not today at least tomorrow, it is bound to be the national language. But, why should we be in a hurry? Even in putting questions here to a non-Hindi man, they use Hindi. What is the use of that? It is something like this. In our earlier days, when we learnt English we were speaking in such a way in our own houses that our old ladies thought that their sons and grandsons spoke fine English. Nobody knew how they committed. many mistakes Whether it is fine Hindi or not I cannot appreciate. These are some of the things that should be borne in mind.

I shall not take much time. I am not much bothered about the Roman script. I adopt it whenever I want to take down the language of the others. I would finish my speech by reading one sentence which you will permit me, which I have taken down in Roman script, from my friends here.

हिंदी का राष्ट्रभाषा होना देश के हित मे है। लेकिन इसमें सब से बड़े वाधक हिन्दी के कटुर समर्थक हैं। Mr. Deputy-Speaker: May I know how many hon. Members are eager to speak on this?

Some Hon. Members rose-

Mr. Deputy-Speaker: I see there are about 8 members. May I know how long the hon. Minister would like to take?

The Minister of Education (Dr. K. L. Shrimali): About 20 minutes.

Mr. Deputy-Speaker: So, up to 2.10 we may go. The hon. Members shall be very brief, as brief as they possibly can, so that we might just give opportunities to all the members who want to participate.

Sardar Saigal.

Shri Tyagi (Dehradun): Sir, on a point of order. I won't take much time, nor are you accustomed to allow much time on such matters. I wonder if this Bill, after passing. would involve any expenditure on the State because so many examinations are to be held and other things have to be done. The language used is 'shall'. So, it means that the State will have to undergo liability to have these things done. They will require money. Will the hon. Minister give an assurance . . .

Mr. Deputy-Speaker: If the hon. Member would permit me, I would only request him to show which clause there is which would involve expenditure from the Consolidated Fund.

Shri Tyagi: There is no mention of the Consolidated Fund. But we are enacting that such and such things shall be done.

Mr. Deputy-Speaker: Perhaps, there are other funds available and nothing would be taken from the Consolidated Fund. Therefore, it does not attract the provisions of any article of the Constitution.

Shri Tyagi: If the Minister assures me I will withdraw my point.

Mr. Deputy-Speaker: Is my assurance not enough? Yes; the hon, Minister may assure him.

Dr. K. L. Shrimali: Sir, you right. Probably, my hon. friend, Shri Tyagi has in mind article 117(3) of the Constitution. This does not attract the provisions of 117(3) because, as I had explained to him informally, this Sammelan has surplus funds and its Budget is not a deficit Budget. It has its income from examination fees and other sources. Therefore, it is not necessary to spend any money out of the Consolidated Fund of India. It is for this reason that we have not put in any financial memorandum. I had explained that in my introductory speech also.

Shri Tyagi: Is that clear?

Dr. K. L. Shrimali: Yes.

श्री प्र० सिं० सहगल (जंजगीर) : उपा-घ्यक्ष महोदय . हिन्दी साहित्य सम्मेलन. १६६२ का जो बिल राज्य सभा से यहां भ्राया है, उसका हिन्दी संसार में ही नहीं बल्कि सारे भारत में स्वागत किया जाएगा । ग्रब हिन्दी भाषा भाषियों के सामने एक उत्तम ग्रसवर उपस्थित हमा है जब कि वे इसके द्वारा इस संस्था को उच्च स्थान प्राप्त करवा सकते हैं ग्रीर जिस प्रकार की ग्रीर जिस उच्च कोटि की दूसरी युनिवर्स्टीज हमारे देश में हैं, उसी प्रकर की श्रीर उस उच्च कोटि की यनिववर्स्टी इसको भी बनवा सकते हैं। जिस वक्त यह यनिवर्स्टी का रूप धारण कर ले तो हमें यह देखना है कि इसके सम्बन्ध में सरकार के हाथ में कितने ताकत रहेगी श्रीर,जो लोग इसमें लिए जायेंगे उनमें से सरकार के कितने नमाइंदे होंगे ताकि किसी किसम की कोई गडबडी इसमें पैदा न होने पाए ।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इम्तिहानों में सब से ज्यादा हमारे लोग बैठते हैं, उसकी

2658

परीक्षायें देते हैं श्रौर उनमें उत्तीणं होते हैं। साहित्य सम्मेलन ने कई पुस्तकों का प्रकाशन किया है, यह किसी से छिपा नहीं है। ऐसा कर के उस ने एक बहुत ही उत्तम कार्य इस देश में किया है। इस में सब से महत्वपूर्ण चीज अंग्रेजी के वैज्ञानिक शब्दों का अनुवाद होगा जो कि वह प्रकाशित करेगा और आज भी कर रहा है। उस से बहुत बड़ी मदद हम लोगों को मिलेगी।

हमारे कुछ ब्ज्गों ने सम्मेलन के बारे में **ग्र**पने कूछ विचार राज्य सभा में रक्खे हैं। यह बहुत खेद का विषय है। राजर्षि टंडन जी ने जो कार्य हिन्दी के लिये किया है वह एक म्रादर्श की चीज भारत के लिये होगी मौर स्वर्णाक्षरों में लिखी जायेगी । उन की सेवाग्रों के लिये हमें उन के प्रति श्राभार प्रदर्शित करना चाहिये । हिन्दी में संस्कृत श्रौर दूसरी भाषात्रों के बहत से शब्द मिलेंगे। यदि दसरी भाषाश्रों को देखा जाये तो उनमें भी संस्कृत शब्द ग्राप को ज्यादा मिलेंगे । लेकिन संस्कृत के इन शब्दों को जितना प्रीत्साहन मिलना चाहिये. मेरा खयाल उतना हम ने नहीं दिया है । दूसरे भाषा-भाषियों को चाहिये कि वे सम्मेलन की परीक्षाग्रों को उत्तीर्ण करने के लिये ग्रपने भाइयों को ज्यादा बिठलायें स्रौर स्रपने बच्चों को इस की शिक्षा दें। इस वक्त दक्षिण भारत में ग्रीर गुजरात भ्रादि में जिस तरह से काम हो रहा है, उस में तीवता लाने की ग्रावश्यकता बहुत अधिक प्रतीत होती है। सम्मेलन का इन्तजाम ऐसा होना चीिहिये कि जहां दूसरे भाषा भाषी लोग हैं वहां पर हिन्दी को पढ़ाने का प्रबन्ध ज्यादा किया जाये । यदि हम ऐसा करेंगे तो मैं समझता हं कि यह हमारे देश के लिये एक बहत ही उत्तम चीज होगी।

ब्राज कुछ लोगों में यह भ्रम पैदा हो गया है कि जो यह बिल है उस के ग्राने से शायद सरकार का कब्जा इस सम्मेलन पर हो जायेगा। यह गलत चीज है। सम्मेलन के पास ग्राज

खद का पैसा है। उस पैसे का इन्तजाम करने के लिए एक कमेटी बनाना ठीक है। कमेटी में भी बहुत ज्यादा ग्रादमी न रक्खें जायें। इतने ही रक्खे जायें जिस से वहां पर एकपन हो भौर वे इस कार्य को अच्छी तरह चला सकों। हिन्दी साहित्य सम्मेलन में कार्य करने वालों को बराबर जो खर्च दिया जा रहा है उसमें यह देखना पड़ेगा कि उन की तत्स्वाह मिल रही है या नहीं । यदि तन्ख्वाह न देने की वजह से उन में किसी किस्म की खामियां म्रा गई तो उस में जो गलती होगी वह होगी सम्मेलन की ग्रौर सम्मेलन को चलाने वालों की । इसलिये जरूरी है कि इस में सरकारी निरीक्षण रक्खा जाये । हिन्दी सम्मेलन ने कितने क्षेत्रों में काम किया है यदि यह चीज विवरण के साथ इस सदन के सामने रक्ली जाती है ग्रीर हिन्दी साहित्य सम्मेलन की जब से स्थापना हुई है तब से ग्राज तक उस ने क्या क्या काम किया, किस किस क्षेत्र में काम किया यह सब दिया गया होता तो ग्रच्छा होता क्योंकि इस से सदन के माननीय सदस्यों को भी मालुम हो गया होता कि उस का कार्य कितना महत्वपूर्ण रहा है। ग्रभी तक हमारे बहत से भाइयों को नहीं मालम कि वहां पर किस तरह से कार्य होता है श्रौर उसने किस तरह से इतना ज्यादा काम किया है ताकि हमें उस को एक युनिवर्सिटी का रूप देने में सरलता हो। मैं मंत्री जी से इस बात की प्रार्थना करना चाहता हैं कि वे इस चीज को यहां पर रखने की कृपा करें।

जो दूसरी भाषाओं के ग्रंथ हैं जैसे बंगला के, पंजाबी के, तामिल, तैलगू, मराठी ग्रादि के उन के बड़े बड़े लेखकों ने जो प्राचीन काल में और ग्रब ग्रपने विचार रक्खे हैं, हिन्दी साहित्य सम्मेलन उन का अनुवाद कराये। जो बड़े बड़े सन्तों ग्रीर महापुरुषों ने ग्रपने विचार रक्खे हैं उनका अनुवाद करवाना बहुत ग्रावश्यक है, उन के लेखों का हिन्दी में लाना बहुत ग्रावश्यक है ताकि हिन्दी भाषाभाषियों को मालूम हो जाये कि हमारे देश की दूसरी भाषाश्रों में भी

### [श्री ग्र० सिं० सहगल]

कितने महान ग्रंथ हैं भौर उन से हमें कितना फायदा मिल सकता है। सम्मेलन ने जो भी कार्य किया है वह बड़ा कार्य है, इस में कोई दो मत नहीं हो सकते। खास कर हमारे शिक्षा मंत्रालय ने इस बारे में जो कदम उठाया है वह बहुत ही सराहनीय है। यही नहीं बिल्क मंत्रालय के इस कदम से इस बात की भी एक झलक मिलती है कि उन्होंने हिन्दी के लिये जो कार्य किया है वह बहुत ही उत्तम हैं।

इसके साथ साथ मैं इस बात की म्रोर भी उन का घ्यान ग्राकॉषत करूगा कि यहां पर जो भी किताबें निकाली जायें वे छोटे छोटे बच्चों के लिये भी हों जो कि हिन्दी भाषाभाषी नहीं हैं। उन के लिये इस तरह की चीजें बनाई जायें ताकि हर जगह रहने वाले खास कर दक्षिण भारत के लोग उन को समझें ताकि उन को यह न मालुम हो कि उन पर हिन्दी को लादा जा रहा है। यहां पर बहुत से मित्रों ने विचार प्रकट किया कि उन पर कोई चीज लादी न जाये। मैं मानता हुं कि कोई भी चीज ग्रगर हिन्दी साहित्य सम्मेलन करे, भले ही वह देश के लाभ के लिये ही क्यों न हो, इस तरह से की जाये जिसमें हिन्दी का प्रचार हो ग्रौर सभी लोग हिन्दी सीख सकें क्योंकि वह हमारे देश की भाषा है।

श्री गोतम (बालाघाट) : उपाघ्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्यन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक बहुत अच्छा है और इसमें हम हिन्दी की प्रगति कर सकेंगे, परन्तु मैं देखता हूं कि आज की जो हिन्दी है उसकी कुछ चिन्धी सी हो रही है। अभी हमको यह बुकलेट मिली है जो कि पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से निकाली गई है और इसका नाम है : 'खुशहाली के लिये परियोजनारें'। इसके जब मैं देखता हूं तो पाता हूं कि इसमें एक ही पृष्ठ २१ पर करीब १३ जगहों में अंग्रेजी इस्तेमाल में लाई गई है।

इसके उदाहरण के लिये मैं बतलाता हूं कि सफा २१ पर कुछ फिगर्स हैं। वे सारे के सारे अंग्रेजी में लिखे हैं। मैं नहीं जानता हूं कि इसके पीछे क्या बात है। क्या हिन्दी में कोई अंक ही नहीं हैं? इस तरह से अंग्रेजी का उपयोग क्यों किया जाता है और वह भी उन पैम्फ्लेट्स में जो कि सरकार द्वारा निकाले जाते हैं। यह जो सम्मेलन का ध्येय है कि एक शुद्ध सुबोध हिन्दी का विस्तार किया जाये वह बहुत अच्छा है किन्नु उसी रूप में हमारे सरकारी पैम्फ्लेटस आदि भी निकाले जायें।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन की बहुत सी परीक्षायें होती हैं ग्रौर कई जगहों पर उस के केन्द्र भी होते हैं। परन्तू देखने में यह स्राया है कि सिर्फ केन्द्र न खुलने की वजह से बहुत से परीक्षात्रों में बैठने के इच्छक उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं स्रौर न उसका फायदा उठा सकते हैं। मैं खुद ग्रपने स्थान बालाघाट के बारे में बतलाता हं कि एक जिला है। वहां पर सन् १६६१ में केन्द्र न होने के कारण १५ विद्यार्थी इस इम्तहान में नहीं बैठ सके । परिणाम यह हुम्रा कि जिन लोगों ने इतनी तैयारी क्वी थी उनका बड़ा भारी नुक्सान हुग्रा। केन्द्र खोलने के लिये बहुत से उपाय लिये गये किन्तु सफलता नहीं मिली । कालेज वाले इसके लिये तैयार नहीं हुये, हाई स्कूल वाले इसके लिये तैयार नहीं हुये । इसलिये जो लोग परीक्षा में बैठना चाहते थे उनका इतना नुक्सान हो गया । मैं श्राशा करता हूं कि जब हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक को कानुन कारूप दियाजारहाहै तब इसका भी रूयाल. किया जायेगा ।

दूसरी बात यह है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं में जो लोग पास भी होते हैं उनको डिगरी तो मिलती है परन्तु उनकी उतनी कद्र नहीं होती । सरकारी नौकरियां जब दी जाती हैं तब उनका भी विचार किया जाना चाहिये। यद्यपि उनकी डिगरी को अंग्रेजी की डिगरियों के इक्वीवै-लेंट माना गया है, परन्त जब सरकारी नौक-रियों का प्रश्न ग्राता है तो उन डिगरियों को कोई खास प्राधान्य नहीं दिया जाता । इस भ्रोर भी थोडा स्थाल किया जाना चाहिये। मैं देखता हं कि हिन्दी का महत्व बहत ज्यादा है। मैं यह कह सकता हूं कि जहां मैं पूरे हिन्द्स्तान में घमा हं मैंने देखा है साधारण तौर से हिन्दी समझी जाती है. चाहे वह मद्रासी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे पंजाबी हो या श्रांध-वाला हो सभी हिन्दी समझते हैं, यहां तक कि तांगे वाले भौर कुली सभी इसको समझते हैं। तो हिन्दी का महत्व सभी जानते हैं स्रौर सभी इसको समझने लगे हैं। इस विधेयक के पास होने से उसका महत्व श्रौर ज्यादा बढ सकेगा ग्रौर यह बहुत ग्रच्छी बात है।

#### 13 hrs.

हिन्दी लिखने की ग्राजकल एक ग्रौर प्रणाली निकली है। पहले हम देवनागरी लिपि में, ग्र. इ. उ ग्रादि ग्रलग ग्रलग लिखते थे। इस नई प्रणाली में अने आगे मात्रायें लगाकर इकार या उकार बनाया जाता है। इस प्रणाली के चल जाने से ग्राज हिन्दी में यूनीफारमिटी नहीं है। पहले इ लिखी जाती थी, उसके स्थान पर ग्रब ग्र**के** पहले कि लगाकर ग्रि बनता है, इसी प्रकार जहां पहले उ लिखा जाता था तो इस नई प्रणाली के ग्रनुसार ग्राके नीचे ुलगाकर ग्राबनेगा। तो इस तरह से देवनागरी लिपि की युनि-फारिमटी गडबड हो गयी है। मेरा सुझाव है कि देवनागरी में यनिफारमिटी लानी चाहिये। या तो जो पहले देवनागरी लिपि थी उसी को रखा जाये भ्रौर ग्रगर उसका रूप बदलता है तो वैसा किया जाये श्रौर केवल उसी लिपि को मान्यता दी जाये। ग्रभी यह हो रहा है कि कई ग्रन्थ पुरानी लिपि में लिखे जाते हैं तो कई नई लिपि में लिखे जाते हैं। इस लिये लोगों को उनको समझने में कठिनाई होती है।

डा॰ मा॰ श्री॰ ग्रणे (नागपुर) : नया तरीका टाइपिंग के लिये सुविधाजनक है।

श्री गौतम: अगर ऐसा है तो वही लिखा जाये, उसी को अपनाया जाये। मेरा यह कहना नहीं है, कि पुराना तरीका ठीक है या क्या तरीका ठीक नहीं है। लेकिन इन दोने। का चलना ठीक नहीं है। हमें चाहिये कि जिसमें ज्यादा सुभीता हो उसे अपना लें और सारे प्रन्थ उसी तरीके के अनुसार लिखे जायें। यही मेरा सुझाव है।

Shri A. C. Guha (Barasat): Sir, a Bill of this nature is generally to be welcomed, and hon Members who have spoken in this House have more or less supported this Bill. I also have nothing to object to the passing of a Bill of this nature, but I have some misapprehensions about certain provisions and also about the rather limited nature of this Bill.

Hindi is the language, according tothe Constitution, to be adopted the Central Government. But the Central Government has not able to observe the time-schedule with regard to it, because there have been some misgivings and suspicions in the minds of the people of different regions about the political implications of Hindi being adopted as the language of the Central Government. Anything to be done for the development of Hindi should take into consithis recent development within the geographical and political entity of India. Before Independence we were all enthusiasts of Hindi, but there has been a definite change in the attitude of the people of the different parts of the country after Independence. Recently this change attitude has been sharpened and there is a definite opposition to Hindi beinadopted as the language of the Certral Government. This feeling of suspicion is to be taken as a retrograde step in our political psychology, this is a reality, and the Government cannot ignore this reality. So, any steps taken for the development of

[Shri A. C. Guha]

Hindi must be taken against the background of this growing suspicion about Hindi domination or the domination of the people belonging to the Hindi region. The signs of this change are apparent not only in the South but also in the northern and eastern parts of India

This Bill is intended to give a certain status to the Hindi Sahitya Sammelan only, but there are similar bodies for all the other languages of India. According to the Constitution, all the 14 languages are entitled to some sort of recognition and encouragement from the Central Government. When the Central Govern--ment is passing a Bill only to give the Hindi Sahitya Sammelan a special status, naturally the people of Tamilnad, of Bengal and other linguistic regions will feel that their association for their particular language is being ignored. The Minister in charge was a student in Calcutta. So he ought to know that in Bengal there was the Bangiya Sahitya Parishad and there was also a Bengali Sahitya Sammelan. I cannot specify the names of similar associations for the other languages, but surely all the languages have got similar associations. has not the Government brought a Bill comprehensive enough to cover all those associations so that the people speaking other languages may not have any feeling of being ignored?

**Shri Braj Raj Singh:** In the Bill, is there anything about the Hindi language?

Shri A. C. Guha: I am placing my views according to my light. I am sorry I cannot be so wise as the hon. Member opposing me!

Shri Braj Raj Singh: I am not opposing. I am only pointing out the relevancy of his speech.

Mr. Deputy-Speaker: Oder, order.

Shri A. C. Guha: I would like to draw your attention to clause 6 of

the Bill, especially, to sub-clauses (d) and (e) and also to clause 12(1) (i) and (j). Sub-clause (d) of clause & is with regard to degrees and diplomas and other academic distinctions, and sub-clause (e) is to establish and maintain schools, colleges and other institutions for instruction in Hindi and also to affiliate schools, colleges and other institutions for its examinations. The speaker who preceded me has already made a complaint that in Government offices the degreeholders of the Hindi Sahitya Sammelan do not get the same privilege as the degree-holders of universities. After the passing of this Bill, I think that disqualification or disability will be removed. Then, may I ask how the people of other languages would not have the feeling that their association of those languages also might confer the degrees and might have schools and institutions affiliated I think from that point of view, this Bill has been drafted with a very narrow outlook and not keeping in view the proper interests of the country as a whole.

The Minister has stated that immediate provocation for this Bill is that there had been some internal trouble within the Hindi Sahitya Sammelan resulting in a riot of statement in the affairs of the Sammelan and for that they could have taken certain administrative steps. But this Bill is giving the Hindi Sahitya Sammelan a very distinctive position in the country. After the passing of this Bill, the Hindi Sahitya Sammelan will be considered an institution of public importance. That means it will come within the scope of operation of the University Grants Commission, whereas similar bodies for other languages of India will have that facility and that privilege. That is a sort of discrimination against the other languages.

Let it be made clear by me that I am not at all opposed to Hindi being developed or being made the language of the Central Government. But for that, the Government should take

the prevalent psychology of the people into their consideration. They should not rush into any step which may aggravate the prevailing misgivings and suspicions.

Shri N. R. Muniswamy who was the first speaker today on this already mentioned that the protagonists of Hindi, the Hindi enthusiasts, have been the greatest opponents for the development of Hindi and for Hindi being adopted as the language of the Central Government. should be more discreet than enthuriastic. Enthusiasm does not always pay; it must be guided by discretion and a proper understanding of the mood of the people.

Then I may refer to some of, the provisions of the Bill. There is a provision in the Bill that the rules to be made by the first governing body are to be laid on the Table of both the Houses but under clause 17 the subsequent governing body will also have the authority to amend or to make rules. There is nothing in this Bill for those rules to be laid on the Table of the House. I think that provision should have been there. Even if the provision is not there, the Minister should see that it may be adopted as a convention that those rules also
Table of the will be laid on the Table of House, so that the House may take notice of those things.

Dr. K. L. Shrimali: I would draw his attention to clause 12(4) where it is provided that the rules shall be laid before both Houses of Parliament.

Shri A. C. Guha: That is about the first governing body. There is nothing like that about the subsequent governing body mentioned in clause 17.

The hon, Minister has stated that there have been some internal squabbles and troubles, because of which the work of the Sammelan has almost come to a stalemate and that is why 2066 (Ai) LSD-4.

he is coming forward with this Bill. But what is the guarantee that in fufuture also, there would not be such internal squabbles in the Sammeian. even after giving recognition to the Sammelan? The Minister might that powers given under clause may be utilised. But that clause is too wide and I do not know whether the Sammelan would have the quisite autonomy if the Government frequently use the powers under clause 19. So, apart from such wide power as given by clause 19, there should have been some provision, so that in case internal troubles arise in future, Government may intervene and make proper arrangements to remove them

श्री बजराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विघेयक का स्वागत करता हं। मझे दःख है कि कई माननीय वक्ताम्रों ने जिन्होंने पता नहीं किस कारण से कहा कि वे इस विधेयक का स्वागत करते हैं लेकिन वास्तव में इसका विरोध करने का सन्होंने प्रयत्न किया है ।

ग्राखिर इस विधेयक में कौन सी ऐसी चीज है जो कि हिन्दी को कोई एक विशेष दर्जा दिलाती है ? मैं पहते ही इस चीज को साफ कर देना चाहता हं कि मैं उन लोगों में से नहीं हं जो कि हिन्दी के वास्ते कोई विशेष दर्जा चाहते हैं। मझे तो ऐसा लगता है कि जो वक्ता महोदय ऐसा कहते हैं कि इस बिल के द्वारा हिन्दी को कोई विशेष दर्जा दिया जा रहा है उन्हें वास्तव में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का इतिहास मालम नहीं है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन एक संस्था कुछ उन लोगों ने जो राष्ट्रीय विचारधारा के थे, जिनका कि राष्ट्रीय ग्रांदोलन में प्रमुख हाय था भीर जिन में कि बाबु पुरुषोतमदास टंडन एक प्रमुख व्यक्ति थे, उन्होंने इस का संस्थापन किया । इलाहाबाद में उसका प्रधान कार्यालय था ग्रीर यह संस्था उस

# [श्री बजराज सिंह]

Hindi

काल से जब हम गुलाम थे तब से हिन्दी के विकास और प्रचार का कछ काम करती रही । उस ने इस के लिए ग्रपनी कुछ परीक्षाए भी लीं ग्रीर जैसे उस जमाने में एम० ए॰ वगैरह की परीक्षाएं होती थीं वैसे ही हिन्दी साहित्य रत्न की उनकी परीक्षा उस एम० ए० की परीक्षा के समकक्ष थी। यह घ्यान देने कीं बात है कि राष्ट्रीय श्रांदोलन के जमाने में न सिर्फ यही एक संस्था बल्कि कुछ दूसरे राष्ट्रीय विद्यालय भी थे भौर महात्मा गांधी के भ्रादेशानुसार वह राष्ट्रीय विद्यालय काम करते रहे और उन के भी कुछ डिग्नियां ग्रीर उपाधियां श्रादि वितरित की जातीं थीं। ग्रब इस हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा उपाधि वितरण का कार्य जो कि उसके द्वारा पहले से किया जारहा है उसीको इस विधेयक के द्वारा यदि जारी रक्खा जाता है तो मेरी समझ में नहीं स्राता कि कैसे कछ लोग यह समझ लेते हैं कि इस विधेयक द्वारा हिन्दी को कोई विशेष दर्जा दिया जा रहा है ? मैं नहीं समझता कि इस में हिन्दी को कोई विशेष दर्जा दिये जाने की बात है भीर जैसे मैं ने पहले दिन निवेदन किया मैं उन लोगों में से नहीं हं जो कि चाहते हैं कि हिन्दी को कोई विशेष दर्जा दिया जाये। लेकिन में एक बात अवस्य उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो कि जब भी उन्हें भ्रवसर मिलता है किसी न किसी तरीके से एक ऐसे राष्ट्रीय निश्चय का जो कि भ्राज नहीं श्रपित स्राज से दसियों साल पहले लिया गया था उसका विरोध करने के लिये तैयार रहते हैं। संविधान में राज भाषा के सम्बन्ध में स्पष्ट व्यवस्था दी हुई है तो भी वह मित्र उसका लगातार विरोध करने की कोशिश करते हैं। मैं ग्रपने उन मित्रों से पूछना चाहता हं कि क्या उन के सामने देश की एकता के लिए इसके ग्रलावा कोई दूसरा विकल्प मौजद है ? मैं उन से यह भी पूछना चाहगा कि क्या दनिया में कोई दूसरा राष्ट्र भी

ऐसा है जहां कि संसद में, सरकारी में. परस्पर पत्र व्यवहार किसी विदेशी भाषा का प्रयोग होता है? भले ही वह कितनी ही धनी हो, कितने ही अच्छे उस में शब्द हों और कितना ही भ्रच्छा उसका साहित्य हो? जब दुनिया **के** किसी भी देश में इस तरह का उदाहरण नहीं मिलता जहां कि विदेशी भारा का प्रयो<del>ग</del> होता हो तब हमारे देश में जो विदेशी भाषा के स्थान पर हिन्दी को लाने की बात की जाती है तो मेरी समझ में नहीं म्राता कि उसका हमारे इन मित्रों द्वारा क्यों विरोध करने की कोशिश की जाती हैं. हिन्दी के म्रलावा ग्रगर कोई ग्रन्य प्रादेशिक भाषा संघराज्य भाषा बन सके तो मैं उसका स्वागत करूंगा । ग्रब मेरे इन कुछः मित्रों के दिमागों में हमेशा शंका बनी रहती है कि यह हिन्दी का डौमीनेशन हो रहा है हिन्दी का प्रभुत्व कायम किया जा रहा है । मुझे लगता है कि हिन्दी के नाम पर वह कुछ इन लोगों के प्रभत्व का विरोध करते हैं जो उन्हीं के दल के हम्रा करते हैं। कोई मिनिस्टर हिन्दी भाषी प्रान्त से ग्राता है भले ही जनता जो कि उसे चन कर भेजती है गरीबी में फंसी हो लेकिन चकि मिनिस्टर उस प्रान्त से ब्राता है इस लिए हिन्दी भाषा का विरोध किया जायेगा। मैं चाहता 🕏 कि ऐसे लोगों में साहस पैदा होना चाहिए कि वह उस मिनिस्टर का विरोध करें और उस हालत में मैं उनका साथ दंगा । जहां तक हिन्दी का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि यही भारत संघ की राज भाषा होने की क्षमता रखती है भीर इसके द्वारा देश की एकता होनी है। अब जहां तक उनकी सारे ऐडिमिनिस्ट्रेशन पर हिन्दी भाषियों के डोमीनेट करने की बात है मैं ध्रगर मृन।सिब समझा जाये ो, इस बात के लिए तैयार हं कि दस साल तक के लिए कोई ऐसा नियभ बना दिया जाये

कोई ऐसा प्रतिबंध लगा दिया जाय कि उस समय तक हिन्दी भाषी प्रान्तों से इन जगहों पर लोग नहीं लिये जायेंगे बल्कि ग्रहिन्दी प्रान्तों के लोगों को उन पोजीशन के स्थानों पर लिया जायेगा। विद्यान में कोई इस तरह की व्यवस्था करलें अपने श्राप ग्रपने कपर कोई इस तरीके का प्रतिबंध लगा लें में इस बात के लिए तैयार रहगा।

जो मित्र इस तरजी का लांछन लगाया करते हैं इस तरह का ग्राक्रमण किया करते हैं कि यह तो हिन्दी का डोमोनेशन है ग्रौर हिन्दी का प्रभूत्व दूसरी भाषाओं पर लादा जा रहा है उन से मैं कहूंगा कि क्या उनके पास हिन्दी के विकल्प के ग्रजावा देश की एकता के लिए कोई दूसरा विकल्प है। क्या देश को एकता, उत्यान ग्रौर देश में जनता का राज बिना जनता की भाषा स्थापित किये हो सकता है? दुनिया के किसी ग्रन्थ देश में ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता ने फिर हमारे यहां ही कैसे हो सकता है?

ग्रव जहां तक सरकार द्वारा हिन्दी को प्रोत्साहन देने की बात हम तो खद सरकार की हिन्दी नीति के भ्रालोचक हैं क्योंकि वह खद ढिलमिल नीति ग्रपनाती है श्रौर वह खुद श्रग्रेजी पसन्द है। हमारे मित्र शिक्षा मंत्री महोदय डा॰ श्रीमाली यहां बैठे हैं श्रीर मैं तो उनकी मौजदगी में यह बात कहना चाहता हं कि जहां तक होता है वह हिन्दी में किये गये प्रश्नों का भी जवाब अप्रेजी में देते हैं और आप देखेंगे कि जब वह श्राज बहस का उत्तर देंगें तो भी श्रपना भाषण अंग्रेजी में ही शरू करेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अंग्रेजी में नहीं बोला तो शायद यह समझा जायगा कि श्रंग्रेजी का महत्व वे कम समझने लगे हैं। ग्रब मंत्री महोदय पर मेरा कोई लांछन नहीं है भीर वह उठने की तकलीफ न करें। लेकिन

जैसे मैंने कहा कि एक विचारघारा∎चलती है .....

डा० का० ला० श्रीमाली : मैं यहां पर यह साफ कर देना चाहता हूं कि जब भी हिन्दी में प्रश्न होता है तो मैंने हमेशा उसका जवाब हिन्दी में दिया है।

श्री प्रकाशबीर शास्त्रो (गुड़गांव) : श्री ब्रजराज सिंह का ग्रारोप यह है कि ग्राप ग्रंग्रेजी में ग्रपना भाषण देते हैं । उनका कहना यह है कि ग्राज जो ग्राप जवाब दें वह हिन्दी में दें।

श्री कजराज सिंह : मेरा डा॰ श्रीमालो में कं हैं खास विरोध नहीं हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि अंग्रेज़ी का मोह न त्यागने और उससे चिपके रहने की देश में इस तरह की एक प्रवृत्ति हो गई है और समझा यह जाता है कि जब तक अंग्रेज़ी में भाषण नहीं किया जायेगा तब तक यह समझा जायगा कि अंग्रेज़ी के महत्व को हम कम करने लगे हैं।

ग्रासिरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि एक बात निश्चित कर लेनी चाहिये और ग्रगर कोई व्यवस्था हो सकती हो तो कर लेनी चाहिये जिससे संसद् में जो हमारे तामिल भाषी व ग्रन्थ भाषा भाषी मित्रहैं वे ग्रपनी उन मातृभाषाग्रों में यहां भाषण दे सकें श्रीर उनका श्रनुवाद किया जाये या श्रीर कोई प्रबन्ध किया जाय लेकिन उन पर यह दबाव न डाला जाये कि उन्हें हिन्दी या श्रंपेजी में ही यहां बोलना पड़ेगा। जिसकी मातृभाषा तामिल श्रीर बंगला श्रादि हो उन पर यह दबाव न डाला जाये कि वे संसद् में हिन्दी या श्रंपेजी में ही बोलें। उनको श्रपनी मातृ-भाषा में भाषण देने की श्राजादी हो...

उपाध्यक्ष महोदय : प्रीसाइडिंग आफिसर की क्या हालत होगी ?

भी बजराज सिह: ग्रब वह तो उस का कोई न कोई हल निकाल लेंगे। ग्रगर मझ से पूछा जायेगा जौर मैं उस वक्त प्राप्य हंगा तो मैं उसका हल जरूर बतलाऊंगा। लेकिन ऐसी कोई इछा ही नहीं है। लोगों में इस तरह की व्यवस्था करने की इच्छा नहीं है और अंग्रेज़ी से चिपके रहना चाहते हैं लेकिन कहने को कह दिया जाता है कि हिन्दी और दूसरी प्रादेशिक भाषाओं का झगडा है। मैं कहना चाहता हं कि वह झगड़ा नहीं है। ग्रगर इस बात की जांच पडताल की जा सके, तो मालम होगा कि हिन्दुस्तान के ग्राजाद होने ग्रीर हिन्दी को देश की सरकार भाषा घोषित किये जाने के बाद कितने ही विदेशी हितों ने हिन्दी . के खिलाफ षडयंत्र किया है ग्रौर ग्रंग्रेजी के प्रचार के लिये करोड़ों रुपया खर्च किया है। लेकिन विदेशी हितों को ग्रंग्रेजी से कोई खास प्रेम नहीं है। उन की इच्छा तो यह है कि स्वाधीनता की परम्मरा इस देश में न जमने पाये-इस देश में ऐसी स्थिति न हो सके कि जिन लोगों से हमारा पहले लगाव रहा है, वह लगाव समाप्त हो सके। इसी लिये ग्रंग्रेजी को इस देश में बनाये रखने का हमेशा प्रयत्न किया गया है। सुचना है कि करोड़ों रुपया इस षडयंत्र पर खर्च किया गया है कि अपनी भाषा को अप-नाने की भावना इस देश में पैदान हो। पहले यह बात सब ग्रोर से कही जाती थी कि हिन्दी के द्वारा यह देश एक हो श्रौर हिन्दी के द्वारा देश का राष्ट्रीय भ्रान्दोलन चले, लेकिन म्राज कीन सी बात पैदा हो गई है कि सीजन एंड म्राउट म्राफ सीजन-मौसम-वेमौसम--चाहे चीफ़ मिनिस्टर्ज कांफ़रेंस हो. राष्ट्रीय एकता समिति हो या हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक पर बहस हो, या कोई रिपोर्ट पेश हो, जब भी कोई मौका मिलता है, हमेशा इस बात का जिक ज़रूर किया जाता है कि हिन्दी वाले डामी-नैशन चाहते हैं। मैं कहना चाहता हं कि

Hindi

हिन्दी वालों के डामीनेशन को खत्म किया जाना चाहिये । किसी पर हिन्दी का प्रभूत्व कायम करने का सवाल नहीं है । मैं तो उन लोगों से हूं, जो यह चाहते हैं कि ग्रगर जरूरत पड़े तो इस ग्राशय का कानून बनाया जाना चािये, कि पांच दस साल के लिये हिन्दी-भाषीय प्रांत से कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा ।

में माननीय सदस्यों, श्री श्ररुणचन्द्र गृह , श्री मुनिस्वामी, श्री थान पिल्ले श्रीर दूसरे मित्रों से यह पूछता हूं कि क्या उन में यह हिम्मत है कि वे यह कहें कि हिन्दी भाषी प्रान्त से कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिये । वे नहीं कहेंगे, क्योंकि इस से उन का ग्रपना ग्रस्तित्व खत्म होता है । ग्रपना ग्रस्तित्व कायम रखने के लिये वे हिन्दी भाषा का विरोध करेते हैं, जिस से देश की एकता भंग होती है श्रीर देश को नुक्सान होता है ।

Shri Thanu Pillai (Tirunelveli): May I know what he said about me?

Mr. Deputy-Speaker: I will give him an opportunity to ask that.

Shri M. R. Krishna (Karimnagar— Reserved-sch, Castes): We do not know what he says about us

श्री कजराज सिह: मैं श्राशा करता हूं कि जो विल हमारे सामले है, उस को सच्ची भावना से पास किया जायगा थ्रौर जो मित्र मौसम बेमौसम हिन्दी का विरोध किया करते हैं, वे इस बात को छोड कर कोई रचनात्मक काम करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों को हिन्दी के प्राटेगानिस्टस कहा जाता है, जिन के बारे में यह कहा जाता है कि वे दूसरी भाषाश्रों को कुर्वान कर के हिन्दी का प्रचार करना चाहते हैं, मैं इस बात का श्राश्वासन देना चाहता हूं कि उनकी कतई यह इच्छा नहीं है कि इस देस की

दूसरी भाषात्रों को नुक्सान हो। हिन्दुस्तान की सभी भाषायें एक दूसरे की बहनें हैं और एक भाषा का विकास दूसरी भाषा के विकास से सम्बन्धित है। सभी भाषात्रों का विकास होना चाहिए।

लेकिन हिन्दी भाषा को ग्रपनाने का मतलब यह नहीं है कि उस का साहित्य दूसरी भाषाओं से ग्रच्छा है। बंगला का साहित्य बहुत उत्कृष्ट है ग्रौर तिमल भाषा सब से पुरानी भाषा है, लेकिन हिन्दी को इस लिये स्वीकार किया गया है क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। देश की एकता के लिए, उस के उत्थान ग्रौर विकास के लिए, देश-वाियों में स्वाभिमान ग्रौर देशाभान की भावना को कायम रकते के लिए हिन्दी को ग्रपनाया जाना बहुत जरूरी है। इसलिए यह ग्रावश्यक है कि सभी लोग हिन्दी को इच्छा से स्वीकार करें, क्योंकि हिन्दी के विकास के ग्रलावा देश के सामने ग्रौर कोई विकल्प नहीं है।

Shri Thanu Pillai: Mr. Deputy-Speaker, this Bill, which is called the Hindi Sahitya Sammelan Bill, is in fact and in effect a Hindi University Bill. If you look into the clauses, it will establish and maintain schools and colleges and other institutions for instruction in Hindi language and Hindi literature, it will arrange for the holding of examinations and affiliate institutions it is only the prerogative of the Universities to give affiliation to other institutions, not for this Sammelan-will affiliate institutions having for their object the promotion of Hindi langage and Hindi literature, will award honorary degrees and other academic distinctions persons who may have rendered distinguished service to the cause Hindi, will award prizes to guished scholars in Hindi and co-operate with other institutions having objects similar to those of the Sammelan. The Sub-clauses of clause 6 are so comprehensive that this Sammelan is given the authority and powers of a University. If it is a University Bill, the application of the attention of hon. Members would have been entirely different from what it is today on this Bill. Then, if you read the statements...

Dr. K. L. Shrimali: If I may interrupt the hon. Member, I should like to inform him that these are new powers which are being given to the Sammelan. Since its inception, the Sammelan has been discharging all the functions like conferring degrees and diplomas, affiliation of institutions all over India etc., So, let there be no misapprehension on this account. All that we are doing is to take the institution out of the difficulty in which it finds itself today. That is the limited objective of this Bill. These are not new powers which have been conferred on this institution; they are all there. In fact, the Government of India and several universities in India have recognised the degrees of this institution.

Shri Thanu Pillai: So far as Hindi language is concerned, in a limited way, these Hindi pandits might be accepted as degree holders. There are Tamil pandits who are well-read, who have written examinations and obtained degrees. Would the Government of India, for that reason, appoint a Tamil pandit like an M.A., or M.Sc., graduate in the Government of India service? I simply cannot understand it.

Shri Raghunath Singh (Varanasi): That is the fault of your State. They should have done it.

Shri Thanu Pillai: Today, through this Bill we are giving recognition to an institution which, in effect, will become a Hndi University. Sub-caluse (a) of clause 6 says;

"to promote the spread of Hindi language and to develop it and secure its enrichment in the manner indicated in article 351 of the Constitution." Hindi

[Shri Thanu Pillai]

It is a constitutional obligation of the Government of India, and the Government of India, I am afraid, is trying to abdicate its power and hand it over to the Hindi Sahitya Sammalan. I can very well understand if a Hindi University is established in Delhi, or preferably in the south, for spreading the Hindi language. If it is only for writing of books and publication of books, these powers should not be conferred on this Sammelan. So, I would like to know whether it is going to be a sort of publishing house, producing good literary books, or function University for propagation of Hindi and conferment of titles. My fears are well-founded.

**Dr. M. S. Aney:** The hon. Member is wrong there. The word "university" is not used anywhere in the Bill.

shri Thanu Pillai: That is what I want. I would have been glad if the word "university" had been used and all the consequencies of it had been given to it. But what is happening here is that it is not stated in so many words but by implication all the authority of the university is given to this institution.

Shri Raghunath Singh: The Bill has never used the word "University" "school" or "college" anywhere. It is simply an institution

#### 13.28 hrs.

[SHRI MULCHAND DUBE in the Chair]

Shri Thanu Pillai: Yes, an institution with all the authority of a University. Yesterday, one hon. Member, Shri B. D. Mishra, spoke in Hindi. I could not follow him but the summary of his speech says:

"Hindi should be made the medium of instruction so that a national spirit could be inculcated in our youth. Hindi degrees should be recognised and those holding them should be given prefernce in

Government jobs, especially in the development blocks. More stress should be laid on Hindi qualifications than on the knowledge of other languages, in so far as Hindi teachers were concerned."

If anybody had developed a fear or a doubt that this is the thin end of the wedge for some other purpose, here is the evidence of one hon. Member of Parliament that this is the intention. The fear that has been caused in the minds of non-Hindi people, their resistance to Hindi, is out of their inability or fear that they could not assmilate Hindi as easily and as proficiently as the Hindi-speaking people. We on our part, have been trying to explain to the people in our area that such fears are unfounded and should not be there. All the 14 languages are national languages and Hindi if not today on some other day, should become the common language; it is an accepted fact. The Committee of Parliament which considered the Language Commission's Report has made the recommendation and the Prime Minister has declared on the floor of the House an assurance to the non-Hindi people to allay their fears that English will continue to be a subsidiary language, as per recommendations for all purposes so long as the non Hindi people desire.

**Shri Raghunath Singh:** Does the jrefer a foreign language to an Indian language?

Shri Thanu Pillai: Hindi is as much foreign to me as English is.

Shri Raghunath Singh: English is not a language of India.

Shri Thanu Pillai: Hon. Member, Shri Raghunath Singh, should not lose his temper like that and irritate me. I have been a good friend and exponent of the cause of Hindi and in ten years I have seen a change in the understanding of hon, Members of this House from the Hindi region. They

were coming round to appreciate our difficulties and to concede many things. The good work done by Pantji through that Committee will be nullified by the passing of a Bill of this nature.

This Bill has come at the fag end of this Parliament's life and is being rushed through. It should be considered by the new Parliament. I would beg of the hon. Minister to postpone consideration of the Bill and leave it to be considered by the new Parliament completely and comprehensively. Why should it be rushed through on the last day of the Session?

The hon. Minister has been telling us that regional languages should replace English immediately as the medium of instruction in the universities. I have got a strong difference of opinion and many educationists agree with me that so long as . . .

Dr. M. S. Aney: We do not agree.

Shri Thanu Pillai: You may not but many agree with me, educationists also, that English should continue to be the medium till it could be replaced by Hindi in the universities. It is possible at a later date that in the universities the medium can be Hindi. But if we switch over to the regional language from English, Hindi will never replace the regional language.

An Hon. Member: That is the in question of replacing the regional languages.

An Hon. Member: That is the intention.

Shri Thanu Pillai: My intention is that Hindi should replace English in this country if we want India to be one—an undivided and strong united India.

Shri Raghunath Singh: It was never the intention that Hindi should replace the regional languages.

Shri Thanu Pillai: It is my view. I am not saying that it is the view of Shri Raghunath Singh, I am giving certain reasons for it. Today the administration has not been able to switch over from English to Hindi or to the regional languages because the officers say that they were trained through the English medium and they cannot function in the regional langu-If with their knowledge quired through a foreign medium they cannot transact business in their mother tongue, how on earth will a man who has acquired his education through his mother tongue be able to function in any other language?

Pandit J. P. Jyotishi (Sagar): This Bill does not debar you from getting instruction through the English medium.

Shri Thanu Pillai: No. Therefore, may appeal and my submission as a good friend and as one who is interested in the perpetual unity of India is that the Hindi language should be spread in a way that does not irritate others and does not create doubts and suspicions in the minds of the people. That is my submission. are to spread Hindi in the country. The people of non-Hindi area, and not the people from U.P. or anywhere in the North, only people of that region by that understanding, goodwill and good wishes and by their anxiety to be a part and parcel of India and an effective part of India, can develop Hindi That Hindi should not be, as hon. Member Shri Tyagi, was saying yesterday, difficult.

I will cite one example of translation. For necktie the word is kanthlangot. We all know what is meant by langot. Can they not find any other word? This sort of trying to coin words and push them on somebody...

Dr. K. L. Shrimali. I must say, I think we are unnecessarily introducing heat in this debate. The intention of the Government is very clear. We are only declaring this institution

[Dr. K. L. Shrimali]

as an institution of national importance and are not giving any powers All these powers, as I have explained to the hon. Member, are there.

Moreover, I should like to make it clear that these words, for example, kanthlangot, have not been used anywhere in any dictionary. I do not know from where the hon. Member has got it. Somebody in the streets makes this . . . .

Shri Thanu Pillai: I am not coining words.

Dr. K. L. Shrimali: After all, there must be some reference from where this has been brought in. Will he find it in any Government document or anywhere in the dictionaries which have been anuthorised by the Government? Somebody says it and they go on irdiculing Hindi. It is hardly fair to Hindi. Somebody starts the joke and people start taking it seriously.

Shri Thanu Pillai: I will give you another example. Our late revered scholar, R. P. Sethu Pillai, was a member of the committee for coining words, that is, this Translation Committee. There was some discussion about the word fishing yard and he said 'meen kshetra'. Now kshetra means a temple for us. If you say meen kshetra, are we going to workship fish yards? There are Sanskrit based words which have acquired certain meaning in the non-Hindi areas A khsetra is different from a fish yard.

There are so many things which have to be done. I am not going into the details of coining of words, What I say is that the Objective is to propagate a language acceptable to the rest of the people and not to create this fear that this Sammelan will become a university and that their degreen-holder pandits will be equal to my M.A. or M. Sc. man. I am justified in my fear because the speeches of hon. Members of Parliament, the views expressed by them would have

some effect. If Government would ever listen to hon. Members, naturally their views will also have validity.

So, with all my affection for the cause of Hindi and for the unity of the country, I submit to the hon. Minister to suspend further consideration of this Bill and to place it before the next Parliament, have it considered by a Select Committee and then consider it fully. We are getting out. Today is the last day of our life. Our vote is valid, no doubt and we can pass it, but we will be passing it not for the good of the cause for which you intend it. The consequences will be otherwise. It is not only a lame duck but it is a lingering duck. It going to finish itself evening. Therefore it is highly improper that such an important measure which will go a long way should be passed today. Already the consequences are being felt in our State of this interpretation or misinterpretation. Do not add to the weapons of the anti-Hindi people by trying to give a weapon in the hands of an organisation like this.

There was some difficulty in the society. Therefore to avoid their dissensions they want to give more powers to it. People who could not settle their differences among themselves want it to be made an institution which will look after the purpose of all India propagation of Hindi. How illogical is it? If the organisers of a Hindi Sammelan which is producing books could not settle their differences and produce good books and instead of devoting their time to quarrels, how the hon. Minister thought that institution should be empowered with such a big task of propagating Hindi in all those areas where there is already a lot of opposition? If they insist on passing it, I would equest the hon. Minister to consider leaving out the powers contained in sub-clauses (e) to (k) of clause 6. If you remove them, it will allay the fears of some of us. If the hon. Minister and the Government are interested in the

of hon. Members whom I think, thev relv for the implementation of their objectives, I make this request as a good friend. This being the last session and the last opportunity for me to speak, let me say that our intention is not to oppose Hindi but to assist Hindi. I would make a suggestion to the hon. Minister to have Hindi University for the whole of India created and that university should be entrusted with the affiliation of colleges. There will come a time when if by chance all these States resort to the regional language as the medium of instruction in the universities will be need for Hindi medium in colleges everywhere. We cannot have officers with interpreters and judges of the Supreme Court with interpreters because, as I submitted earlier, the demium of instruction is important for one to be able to function. Therefore, I would suggest, let a Hindi University be established and let those institutions. private or whichever managed institutions, to have would agree of instruction the medium in the University course, be affiliated to that University. Let the people of India let the people of the States where they have no opportunities to teach through any other medium except the regional language, be given an opportunity. If we do not resort to the changeover from English to the regional language, the respective Governments may refuse to give grants. I am the president of the Managing committee of an old college. If we do not get a grant from the Government, naturally, we cannot function. They would use the grant as a lever to drive us to adopt a policy whether we like it or not. It should be ultimatly left to the wishes of the students and the parents what should be the medium of instruction in the colleges. I envisage a time when the medium of instruction will be the regional language in all the Universities. Some day will come when some of our people may like to educate their children through the medium of Hindi in the Universities. I request the hon. Minister to consider very earnestly that this is an appeal from a good friend and consider whether he could stop consideration of this Bill, and introduce a Hindi University Bill, himself as the Minister. I know this hon. Minister is taking so much trouble and pains for the propagation of Hindi. Let him do it perfactly, completely and not leave it to doubtful institutions, creating unwarranted fear

पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी : सभापति महोदय, इस विधेयक का स्वागत करते हुए मैं उन महानभावों को ग्रुपनी नम्र श्रद्धांजलि ग्रपित करूंगा जिन्होने हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की ग्रीर इस देश के सामने इस देश के निर्माण के लिये. एक महत्वपूर्ण ग्रनष्टान किया है । पिछले पचास या बावन वर्षों में हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने जो हिन्दी की सेवा की है वह इस देश की संस्थाओं के इतिहास में निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मुझे दु:खहुआ कि इस सदन में कुछ मित्रों ने, जो कि हिन्दी भाषी नहीं, हैं, जो चर्चा की उसे भून कर । मैं यह मह-मुस करता हं कि काश, उन्हें इस बात से पूरी तरह अवगत किया गया होता कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने क्या कार्य किया है, उस का लक्ष्य क्या है, ग्रीर श्राज वह किस स्थिति में है । यदि ऐसा किया गया होता तो मैं समझता हं कि बहुत सी बातें जो यहां पर कही गई वे न कहीं जातीं।

इस बिल के द्वारा दूसरे भाषाभाषी
मित्रों से हम उन की भाषा के विकास का
अधिकार छीन रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं
है । इस बिल के द्वारा हम उन की छाती
पर हिन्दी का साम्राज्य लाद रहे हैं,
ऐसी भी कोई बात नहीं। हम यह जानते है कि
हमें सब से ज्यादा इस देश की एकता
वांछनीय है और ग्रगर कोई भी चीज हमारी
एकता के मार्ग में बाधक होती है तो हम
उस चीज को लोगों की मर्जी के खिलाफ कभी:

# [पंडित ज्वा॰ प्रा॰ ज्योतिषी]

चलाना पद्मन्द नहीं करेंगे। लेकिन इस देश के लोगों ने, विचारवान लोगों ने यह महसुस किया कि इस देश की एकता ग्रक्षण रखने के लिये इस देश शद्ध राष्ट्रीयता को विकसित करने के लिये यह जरूरी है कि हम एक भाषा विकसित करें। ग्रीर उस भाषा का स्थान सब लोगों ने निश्चित किया कि ंहिन्दी को दिया जाय।

ग्राज हिन्दी साहिन्य सम्मेलन कुछ उलझनों में पड गया है । उसकी मैंनेजिंग कमेटी के आदमी आपस में झगडे । एक महान ग्रादेश जो उनके सामने था उस के राजभाषा हिन्दी को राष्ट भाषा पर प्रतिष्ठित करने के लिये, जो सहायक कार्यकारिणी थी उस में झगडा हुआ। । उस झगड़े को समाप्त करने की को ग्रन्भव ग्रावश्यकता कर के डा० :श्रीमाली ने इस प्रस्ताव को इस सदन उपस्थित किया है संस्था जिस में बडी सजीवता थी ग्रौर जो बड़ी शक्तिशाली संस्था थी वह किन्हीं रट्स में पड़ गई है। वह संस्था उन रट्स में से उठे और साहित्यिक निर्माण का कार्य फिर से ग्रारम्भ किया जा सके इस पवित्र उद्देश्य से यह बिल इस सदन के सामने प्रस्तूत ंकिया गया है।

कुछ मित्रों ने इस बिल की चर्चा के दर्म्यान भाषा की क्लिष्टता की बात कही है। कहां है हिन्दी क्लिष्ट ? ग्राज जिस हिन्दी का प्रचलन लाखों साहित्यिकारों द्वारा हो रहा है, मैं तो नहीं समझता कि उसमें कहीं ऐसी कोई कठिनाई है। ग्राज का साहित्यकार, जिसे अपनी बात समाज के हृदय तक पहुंचानी है, इस बात से भली भांति ग्रवगत है। वह जानता है कि अगर उसे अपनी बात को लोगों कि मस्तिष्क पर उतारना है, लोगों के हृदयों तक पहुंचाना है तो यह जरूरी है कि वह लोक

भाषा का प्रयोग करे, शब्दों ग्रौर महावरों को जनसाधारण से ले । ग्रगर नेताग्रों को साधारण भादिमयों तक भ्रपनी बात को पहुंचाना है ग्रौर समझाना है तो जरूरी है कि वे उनकी भाषा का उपयोग करें। यहां म्रलग **अलग किस्म के लोग रहते हैं. अलग अलग** किस्म के लेख होते हैं, ग्रलग ग्रलग किस्म के विषय होते हैं। विषयों के ग्रनुकुल भाषा भी कठिन ग्रौर सरल हो जाती है। जो लोग भाषा को नहीं जानते हैं उनकी स्थिति बड़ी कठिन है। लेकिन ग्रगर कोई तैरना नहीं जानता है वह यह कह कर कि तैरना कठिन है पानी से दूर रहेतो वह कभी भी तैरना नहीं सीख सकेगा, जैसा कल मेरे एक मित्र ने कहा था। तैरना सीखने के लिये पानी में पैठना जरूरी है जिस तरह से उसी तरह से भाषा को कठिन कठिन कह कर उस से दूर रहने से या उसकी श्रालोचना करते रहने से काम बनने वाला नहीं है । स्राज के हिन्दी साहित्यकार स्रौर पूराने हिन्दी साहित्यकार ने जिस तरह की हिन्दी लिखी है वह जनसाधारण की हिन्दी थी। हमारे तुलसी ने लिखाः

> सो ग्रनन्य जाके ग्रस मति न टर हनमन्त । मैं सेवक सचराचर रूपराशि भगवन्त ।।

कहां इसमें कठिनाई है ? मीरा ने लिखा : या ब्रज में कूछ देखो री टौना: दिध को नाम बिसरि गयो प्यारी ले लयो कोई श्याम सलोना ।

कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें कठिनाई हो. कौन सी चीज है इसमें जिसे देश समझ न सके । सूर ने जिस भाषा का प्रयोग किया, जायसी ने जिस भाषा का प्रयोग किया, ग्राज पन्त ने भी जिस भाषा का प्रयोग किया:

जग पीड़ित है दुःख से, जग पीड़ित है सुख से । मानव जग में बट जाये दु:ख सुख से झौर सुख दुःख से । Hindi

या कठिनाई होती है किसी भाव की श्रमिक व्यक्ति में वहां भाषा श्रपने श्राप कठिन हो जाती है।

मेरे मित्र प्रो० हीरेन मुकर्जी ने कल कहा कि हिन्दी बड़ी कठिन हो रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हं कि रवीन्द्र की भाषा ग्रौर बंकिम की भाषा क्या एक है ? ग्रौर रवीन्द्र ने स्वयं भी जब गीतांजलि, जो कि जन साधारण के लिये लिखी, तो जनसाधारण की भाषा में लिखी, लेकिन उर्वशी के सौंदर्य का चित्रण करने में उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है ? एक ही आदमी अगर एक किसान का गीत लिखता है तो उसमें सरलतम भाषा का प्रयोग करता है स्रौर वही स्रादमी जब किसी दार्शनिक गुल्थी में उलझ जाता है तो कठिन भाषा का प्रयोग करता है। जो भाषा के रस के प्राही हैं उनके लिये लाजिमी ह कि वह चाहे चट्टान के समान हो या भुसभुसी जमीन के समान हो उसमें श्रम करें। यदि हम साहित्य का रस लेना चाहते हैं तो फिर चाहे वह साहित्य कठिन भाषा में हो या सरल भाषा में हो हमें उसका श्रध्ययन करना होगा। तो मैं इस कारण भाषा की सरलता या कठिनता को कोई बड़ा महत्व नहीं देता। ग्राप देखें कि पृथ्वीराज रासों की भाषा इस प्रकार थी:

धरा पिट्ठ तिट्ठम, कनिंगे गरिट्ठम् ।

वही भाषा जायसी के काल में कुछ इस प्रकार की हो गयी :

उकुत विशेषो कब्बो, भाषा जाहो साहो ।

ग्राज जहां भाषा पहुंची है वहीं वह बात पहुंचेगी । जरूरत इस बात की है कि हिन्दी के समग्र रूप को पहचाना जाए । निश्चित रूप से उर्दू, ग्रवधी ये उसकी विभिन्न शैलियां हैं । इन शैलियों के झगड़ों को लेकर हमारी भाषा का जो विस्तृत क्षेत्र है हम उसके टुकड़े नहीं करेंगे । विभिन्न भाषाग्रों के मुहावरे हिन्दी में

कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई कठिनाई शब्दों के समझने में पड़ती हो। परन्तु कुछ लोग अपने विचार कक्ष में बैठ कर भाषा को नया रूप देना चाहते हैं। पारि-भाषिक शब्द यहां वहां रखते हैं। उन पारि-भाषिक शब्दों को देख कर या किसी शास्त्रीय पुस्तक की भाषा को देख कर लोग हिन्दी पर लांखन लगा रहे हैं कि कठिन भाषा है। लेकिन मैं प्रेमचन्द की भाषा की तरफ उनका घ्यान म्राकर्षित करूंगा, मैं सुर्दशन की भाषा की तरफ उनका घ्यान म्राकर्षित करूंगा। हिन्दी के सैकडों लेखक जो ग्राज कल लिख रहे हैं उनके लेखों की तरफ मैं ध्यान ग्राकित करूंगा। डा० रघवीर या किसी दूसरे म्रादमी जो किस खास किस्म से सोचने वाले ग्रादमी हैं. जिनकी साहित्य निर्माण के क्षेत्र में उतनी दिलचस्पी नहीं है, उनकी बात को ले कर हिन्दी को कोसने लगना एक बड़ी गलत सी चीज है। भाषा तो एक रेवा के सदश है। जिस तरह से नर्मदा कहीं चट्टानी जमीन से निकलती है तो कहीं साधारण उपजाऊ जमीन से निकलती है। उस का काम होता है कि चट्टानी जमीन का ग्रन्त कर के उसको सुन्दर बना दे स्रौर जो उपजाऊ जमीन है उस जमीन को भी सुन्दर हरियाली से भ्रलंकृत कर दे। जो विचार साहित्यकार के हृदय में होता है जिस तरह से रेवा चट्टानी जमीन को भी ग्रौर उपजाऊ जमीन को भी ग्रलंकृत करती है, सौंदर्य से, उसी तरह से कठिन शब्दों को लेकर वह ग्रपने भावों को प्रकट करता है। ग्रौर जहां उन्हें दूसरे किस्म का भाव व्यक्त करना होता है वहां सरल भाषा का प्रयोग करते हैं।

स्टाइल इज दी मैन—यह जो बात कही
गयी है वह भाषा के प्रयोग में मनुष्य पर पूरी
तरह लागू होती है। जहां विचार मनुष्य का
स्पष्ट होता है उसके मस्तिष्क में, वहां वह
सरलतापूर्वक निकलता है और भाषा अपने
आप सरल हो जाती है, सरल स्वरूप ले लेती
है। जहां विचार में जरा उलझन होती है

### [पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी]

आएं, विभिन्न भाषात्रों की कहावतें हिन्दी में आएं, दूसरी भाषात्रों के साहित्यकारों की शैलियां हिन्दी में ग्राएं इस तरह का यत्न जरूरी है। यह देश में एकता स्थापित् करने में सहायक होगा।

Hindi

हिन्दो साहित्य सम्मेलन एक महान् संस्या है। मेरा विश्वास है कि इस बिल के द्वारा यह हिन्दी साहित्य सम्मेलन इस स्थिति में पहुंच सकेगा जिस स्थिति में पहुंच कर वह सही साहित्य के सृजन में साहित्यकारों को लगा सके।

मैं यह महसूस करता हूं कि इस देश में जो विचारवान साहित्यिक हैं उनके लिये कुछ ऐसी सुविधा पैदा की जाए कि वे अपने घरू कामों से निश्चिन्त होकर शान्त वाता-वरण में बैठ कर जिन्दगी का अध्ययन करते हुए और जो पिछला उनका जिन्दगी का अध्ययन हैं उसको लेकर आज के युग के अनुकूल और भविष्य की दृष्टि से जिस साहित्य की आवश्यकता है उसका मृजन कर सकें। में समझता हूं कि हम काश्मीर, अमरकंटक, बंगलौर और बम्बई जैसे स्थानों में ऐसे साहित्य सदनों की स्थापिना कर सकें जिनमें कि विचारवान साहित्यक बैठ कर . . . . .

**एक माननीय सदस्य** : बम्बई में तो बड़ा संघर्ष होगा ।

पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिकी : मैं यह विश्वास नहीं करता कि ब्राराम में सही साहित्य का निर्माण होता हैं। संघर्ष के बिना सही साहित्य का निर्माण नहीं होता लेकिन संघर्ष इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि साहित्य मृजन के लिए समय ही न मिले। संघर्ष से डर कर हमें उससे दूर नहीं रहना चाहिए। इसीलिये मैंने बम्बई क्रीर बंगलौर का नाम लिया हैं। मैं चाहता हूं कि साहित्यक इन स्थानों में संघर्ष के समीप रहें। उसका पान करें और जो उसका निचोड़ हो उनकी जिन्दगी में उसी के स्राधार पर वह स्रपने भवन में बैठ कर साहित्य का निर्माण करें ताकि सही साहित्य देश को मिल सके।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कार्य में व्याघात पड़ जाने के कारण विश्व कोष का काम अधूरा सा रह गया । मैं समझता हूं कि इस बिल के द्वारा हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सशक्त बन जाने पर इस कार्य को पुनः लिया जा सकेगा और पूरा किया जा सकेगा।

में यह कह देना भावश्यक समझता हं कि दूसरी भाषाओं को बोलने वाल मित्र इस मुद्दे को ग्रच्छी तरह समझ लें कि हिन्दी को लादने की गरज से इस बिल को प्रस्तूत नहीं किया गया है। प्रो० हीरेन मखर्जी ने कहा कि दूसरी साहित्यिक संस्थाओं की इस तरह का सहयोग नहीं दिया जा रहा है। मैं इस बात का कतई विरोधी नहीं हं कि इस देश में जो इधर उधर दूसरी साहित्यिक संस्थाएं हैं उनको सरकार द्वारा सहयोग दिया जाए या उनको ताकत पहुंचायी जाए । मैं तो विश्वास करता हं कि प्रान्तीय सरकारें इस तरह की संस्थाओं को बराबर ताकत देती रही हैं। लेकिन यह बात भी मैं म्रत्यन्त नम्रतापूर्वक म्रपने ग्रहिन्दी भाषी मित्रों के सामने रखना चाहंगा कि हिन्दी को हमने ग्रापने सबने मिल कर राष्ट्रभाषा के पद पर पहुंचाने का निश्चय किया है । इसलिये हिन्दी की संस्थाओं के लिए ग्रापको थोड़ा ग्रधिक प्रश्रय देना होगा कारण यह ग्रापके मन की भावना है ग्रीर यह म्रापका निश्चय है कि हिन्दी उस स्थिति में पहुंच सके जहां पहुंच करके वह देश का महत्वपूर्ण कार्य करे, जो काम उसे सम्भालना है उसको सम्भालने में सक्षम हो सके। इंसलिये यह जरूरी है कि यदि हिन्दी की किसी संस्था को बल दिया जाता है तो उसका हम सब मिल कर समर्थन करें।

कोई हिन्दी भाषी, कम से कम मेरे जैसे विचारों वाला, जल्दी नहीं करना चाहता ॥ हम ग्रहिन्दी भाषी मित्रों के मस्तिप्कों में यह बात पैदा नहीं करना चाहते कि हिन्दी को इस स्थान पर लाने में जल्दबाजी की जा रही है। लेकिन व्ह जरूरी है कि जो हमने एक मकसद तै किया है उस दिशा में हमारी प्रगति तो कुछ हो। हिन्दी को तरक्की का जब कोई प्रस्ताव ग्रावे, हिन्दी के काम को ताकत पहुंचाने का जब कोई प्रस्ताव ग्रावे, तब हम उसका विरोध करने लगें तो इससे तो हम अपने मकसद पर नहीं पहंच सकेंगे।

श्री थान पिल्ले ने जो बातें कहीं उनसे मझे लगता है कि उनके मन में यह बात है कि, यह शक है, कि हम हिन्दी को दूसरों की मर्जी के खिलाफ, ग्रपने मित्रों की मर्जी के खिलाफ जल्दी से इधर उधर लाद देना चाहते हैं। ऐसा कतई कोई मंशा इस बिल के पीछे नहीं है। इस बिल के पीछे तो एक श्रीर केवल एक यही मंशा है कि हिन्दी की एक संस्था जिसे कई बड़े विचारवान लोगों ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए कायम किया था, वह संस्था फिर से सशक्त हो जाए ग्रीर राष्ट्र निर्माण का जो उसका महत्वपूर्ण कार्य है उस कार्य को शक्ति है साथ आगे बढा सके । यह प्रस्ताव फिर से हमारी उस संस्था को उस स्थान पर स्थापित करेगा ऐसा मेरा विश्वास है भौर इसलिए मैं इसका समर्थन करता हं।

श्री प्रकाश बीर शास्त्री: सभापित जी, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के समय दो नारे हमारे देशवासियों को सुनने को मिले। एक लखनऊ से श्रीर दूसरा इन्दौर से। लखनऊ में भगवान् तिलक ने यह नारा लगाया कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध श्रधिकार है श्रीर इन्दौर से हिन्दी साहित्य सम्मेलन के श्रध्यक्ष पद से महात्मा गांधी जी ने कुछ समय पश्चात् ही यह नारा लगाया कि हिन्दी का प्रश्न स्वराज्य के प्रश्न से कहीं श्रधिक बड़ा है। श्रामे चल कर ये दोनों नारे साथ साथ मिल कर चले श्रीर भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दोनों ही श्रंग बन गए।

यह देश का सौभाग्य था कि जो साहित्यक क्षेत्र के नता थे वही नेता राजनीति की बागडोर लगाम भी अपने हाथ में लेकर चला रहे थे। इसका मुपरिणाम यह हुआ कि जब देश स्वतन्त्र हुआ और स्वतन्त्र होने के पश्चात् देश की राजभाषा बनाने का निर्णय होने लगा तो उसी पृष्ठभूमि में हमले यह निश्चय किया कि स्वाधीन भारत में १५ वर्ष के पश्चात् हिन्दी राजभाषा घोषित की जाएगी।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करते समय मुझे लगता है कि सरकार के सामने दो दृष्टि-विन्दु हैं। एक तो इस लिये उन्होंने यह मार्ग चुना है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रवन्ध कारिणी समिति में इतनी श्रव्यवस्था फैल गयी हैं कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन श्रपने मार्ग से श्रीर ग्रपने उद्देश्य से भटक गया था। पर्याप्त प्रतीक्षा की गयी कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कार्यकर्ता कुछ सावधानी और समझदारी से काम लें, लेकिन जब वे ऐसा नहीं कर पाए तो विवश होकर सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था करनी पडी।

दूसरी चीज यह सम्भव है कि वह सरकार जिसने संविधान में हिन्दी को राजभाषा के पद पर भ्रासीन करने का बत लिया है, हिन्दी साहित्य सम्मेलन क्योंकि उसकी सबसे प्रमुख संस्था है, उसकी दूषित व्यवस्था को देख कर सरकार ने यह निश्चय किया हो कि इस कार्य को हम भ्रपने हाथ में लें भ्रौर हिन्दी की प्रगति को भ्रागे बढ़ाएं।

ं जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है कि जो व्यवस्था दूषित थी ग्रब सरकार के हाथों में ग्राने से उस व्यवस्था में कुछ संगोधन होगा इसमें कुछ ग्रधिक सन्देह तो प्रतीत नहीं होता लेकिन फिर भी इतना ग्रवस्य है कि सरकारी मशीनरी को बिल्कुल दूघ का धुला हुग्ना नहीं माना जा सकता है। जो व्यवस्था दूसरे हाथों में थी सरकार के हाथों में ग्राने से वह सवैथा समान्त हो जायगी

# [श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

ऐसी बात तो नहीं है परन्त फिर भी मेरा श्रपना विश्वास इस प्रकार का है कि सरकार इस संस्था को उसी पवित्र उद्देश्य से चलाने के लिये प्रयत्नशील होगी जिन उद्देश्यों को लेकर इस संस्था की नीव डाली गई थी और इस संस्था के संस्थापकों ने इसकी स्थापना की थी।

#### 14 hrs.

2691

दसरे जहां तक हिन्दी की प्रगति का सम्बन्ध है उसके सम्बन्ध में तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हं कि सरकार की नीति के लिए इससे बड़ा प्रमाण देने की ग्रावश्यकता नहीं कि पिछले १२ वर्षों के समय में यह सरकार जिस मंथर गति से चल रही है मेरा ग्रपना ग्रनमान है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन को भ्रपने हाथों में लेने के पश्चात यह सरकार कहीं उसी प्रकार की दर्बलता और प्रमादी नीति का हिन्दी साहित्य सम्मेलन के जीवन में भी प्रवेश न करा दे। परमात्मा न करे कि ऐसी स्थिति ग्राये । लेकिन इस विधेयक में जो दो चार धाराएं हैं उनकी ग्रोर मैं विशेष रूप से सदन का ध्यान ग्राक्षित करना चाहता हं। इस बात के लिये तो मैं स्वागत करता हं कि जिस तरीके से मनुष्य एक कंधे पर बोझ को रक्खे रक्खे थक जाता है और दूउरे कंधे पर जब उसको रख लेता है तो वह कुछ राहत महसस करता है लेकिन बोझ तो बराबर ज्यों का त्यों बरकरार रहता ही ह । मेरा श्रपना यह विश्वास है कि इस विधेयक की जिस धारा में यह कहा गया है कि अन्य भाषाओं का साहित्य भी देवनागरी लिपि में प्रकाशित किया जायगा वह बहुत हितकर होगा। हमारे देश का यह एक बहत बडा भ्रभाव था जिसको कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वाराइस प्रकार परा किये जाने का प्रयासा किया जायगा। कुछ दिन पूर्व मैंने इस प्रकार का एक प्रस्ताव भी इस सदन में उपस्थित किया था और मझे इस बात को कहते हए प्रसन्नता है कि मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन जो

कि इसी भारत की राजधानी दिल्ली में हम्रा था उस सम्मेलन नें भी एक मत से इस बात को स्वीकार किया कि सभी भारतीय भाषाओं को एक दूसरे के निकट लाने के लिये देवनागरी लिपि को ग्रगर सामान्य माध्यम बना लिया जाय तो ग्रत्यन्त उपयक्त होगा ।

इसके साथ ही साथ ग्रभी कुछ दिन पूर्व जब राष्ट्रीय एकता सम्मेलन हम्रा था तो उसमें भी जब यह प्रश्न उपस्थित हम्रा कि उत्तर भारत के व्यक्तियों को दक्षण भारत की एक या दो भाषाएं ग्रवश्य सीखनी चाहिए । सौभाग्य से मैं वहां उपस्थित था भौर उस समय भी मैंने इस प्रश्न को उठाया था कि क्या यह भ्रावश्यक नहीं होगा कि जब किसी दसरी भाषा को सीखा जाय तो लिपि की दीवार बीच में कायम रक्खी जाय। प्रगर यह लिपि की दीवार बीच में न रहे तो कम से कम यह लिपि की तो कठिनाई हट जाय भौर दसरी भाषाश्रों के वासते देवनागरी लिपि हो जाय । उस समय जो म्रन्य भाषा भाषी थे विशेष कर डा० सुनीति कूमार चटर्जी जो वहां उपस्थित थे उन्होंने इस सझाव को बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया और मझे इस बात को कहते हए प्रसन्नता है कि इस विधेयक में इस बात को सम्मान दिया गया है लेकिन जो एक भय इसके साथ मुझे प्रतीत हो रहा है वह यह कि इस में ग्रंकों के सम्बन्ध किसी प्रकार का कोई विशेष संकेत नहीं दिया गया है । इस भय शब्द का प्रयोग जानबझ कर मैंने यहां किया क्योंकि सभी कुछ दिन पूर्व समाचार पत्रों में मैंने यह पढ़ा था कि देवनागरी प्रचा-रिणी सभा की ग्रोर से एक हिन्दी कोष प्रकाशित हम्रा है। उस कोष की सहायता के लिए भारत के शिक्षा मन्त्रालय से कुछ श्रनदान दिया जाना था। ग्रब नागरी प्रचारिणी सभा की भ्रब तक जैसी परम्परा रही है उस भ्राधर पर इस कोष में जो भ्रंक

Hindi

थे वह भारतीय ग्रंक थे जैसा कि ग्रारम्भ से चलते ग्राये हैं लेकिन सरकार का जहां पैसा लगे वहां पर उन्होंने यह कहा कि ग्रन्तर्राष्ट्रीय ग्रंकों का प्रयोग होना चाहिए। यह विवाद यहां तक बढ़ा कि बाद में ग्राकर यह समझौता हुग्रा कि ग्रच्छा भारतीय ग्रीर ग्रन्तर्राष्ट्रीय दोनों ग्रंकों को साथ - साथ रक्खा जाये। में चाहता हूं कि यह गलत समझौत वाली प्रवृति हिन्दी साहित्य सम्मेलन में प्रवेश न कर जाय। हिन्दी साहित्य सम्मेलन जो ग्रभी तक ग्रपने पवित्र कम में चलता चला ग्रा रहा है जम को यथावन चलने हे।

दसरी बात मैं प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के सम्बन्ध में कहना चाहता हं। जहां ग्रापने यह निश्चय किया है कि शिक्षा मन्त्रालय का उसमें एक ग्रधिकारी रहेगा श्रौर एक वित मन्त्रालय का ग्रधिकार रहेगा तो इसमें किसी को कोई ग्रापत्ति नहीं हो सकती है लेकिन फिर भी मैं यह चाहता हं कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन की जो नई प्रवन्धकारिणी समिति बने उसमें कम से कम इस प्रकार के पवित्र मस्तिष्कों का समावेश ग्रवश्य हो जिनके कि मन में हिन्दी के प्रति निष्ठा श्रौर श्रद्धा की भावनाएं हों। ऐसे व्यक्ति ग्रगर प्रबन्धकारिणी समिति में रख दिये गये जिनके कि मनों में हिन्दी के प्रति सम्मान भौर श्रद्धा की भावना नहीं है तो मेरा ग्रपना अनुमान है कि वह उस प्रबन्धकारिणी समिति में द्याकर फिर इस प्रकार के विवाद खड़े कर देंगे जिन विवादों से बचन के लिये ग्राज भापने यह विधेयक इस सदन के सम्मख प्रस्तुत किय है । इसके लिये यह ग्रत्यन्त भावश्यक है कि वह संस्थाएं जो कि हिन्दी के विकास में प्रगतिशील कार्य करती रही हैं जैसे नागरी प्रचारिणी सभा व दूसरी संस्थाएं हैं या बहत से विश्वविद्यालयों के हिन्दी विभागों के श्रध्यक्ष हैं, उनमें से कुछ चुने हुए न्यनित लिये जायं ताकि वह प्रबन्धकारिणी

समिति एक म्रादर्श प्रबन्धकारिणी समिति के रूप में सामने म्राये।

ग्रपने इस संक्षिप्त वक्तव्य को उपसंहार की ग्रोर ले जाते हुए ग्रन्त में दो एक बातें भौर निवेदन करना चाहंगा । इस विधेयक के प्रसंग में कुछ ऐसी अनावश्यक चर्चाएं भी सदनमें ग्रा गई हैं जिनका कि इस विघेयक से दूर का भी सम्बन्ध नहीं है जैसे हिन्दी ग्रौर हिन्द-स्तानी का विवाद लोग ले आये जैसे हिन्दी ग्रौर दक्षिण भारत की भाषाग्रों का विवाद इस बीच में ले ग्राये । मालम ऐसा पडता है कि कुछ मस्तिष्क ऐसे हैं जिनमें कि एक श्रजीब गबार भरा रहता है श्रौर वह उसको निकालने के लिए रास्ता ढढ़ते रहते हैं कि कब कोई प्रश्न इस प्रकार का आकर सामने खडा हो ग्रौर वे ग्रपना दिल का गबार नकाल लें। इसलिये उनकी श्रोर से कहा गया कि हिन्दी को हिन्दुस्तानी का रूप दिया जाय भीर इस तरह की व्यवस्था की जाय । मेरा ग्रपना कहना है कि संविधान में जो चौदह भाषाएं मानी गई हैं उनमें उर्द को भी स्थान दिया गया है। ग्रब उर्द उर्द के रूप में विकास करे। संस्कृत संहकृत के रूप में विकास करे। हिन्दी न बिल्कुल संस्कृतनिष्ठ हिन्दी हो जाय ग्रौर न हिन्दी उर्द्ग्राइज्ड हिन्दी हो जाय। हिन्दी हिन्दी के रूप में शद्ध हिन्दी के रूप में विकसित हो । हिन्दी के ऊपर न उर्द लादीं जाय भौर न हिन्दी के ऊपर इस तरीके से संस्कृत लादी जाय । हिन्दी को शद्ध हिन्दी के रूप में विकसित होते दिया जाय । अन्य प्रान्तीय भाषास्रों को भी भ्रपने रूप में विकसित होने दिया जाय।

सभापति महोदय, यह हमारा सौभाग्यः था कि जिस समय हमने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था उस समय हमारे मस्तिष्कों में राष्ट्रीय एकीकरण की भावनाः बड़े उग्र रूप में विद्यमान थी । मेरा ग्रपनाः भ्रनुमान है कि सन् ६२ में भ्रगर इस प्रश्नः के उत्पर विचार कर लिया जाता तोः

2606

# [श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

तो यह संभव न था क्योंकि ग्राज तो हमारे देश में गजराती, मराठो, बंगाली भ्रौर तामिल नाडी यह भावनएं बहत उग्र होती जा रही हैं। हमें सदा स्मरण रखना है कि हम सब पहले भारतीय हैं ग्रौर भारत देश की म्रपनी एक परम्परा स्थापित करनी चाहिये। हमारी एक भाषा होनी चाहिये। स्रभाग्यवश हमारा राष्ट इस पवित्र भावना से ग्राज बहत दूर होता जा रहा है । इसी पृथकतावादी मनोवत्ति के कारण शायद हमने राष्ट्रीय एकता सम्मेलन बुलाया था ताकि देश की एकता को खतरा पदा न हो ग्रौर यह ग्रलगाव की प्रवत्ति खत्म हो । इसमें देश के गण्यमान्य मस्तिष्कों को एकत्रित किया गया था। मैं चाहता हं कि इस दुर्भाग्य सुचक रेखाओं को इस देश के इतिहास से धीरे धीरे समाप्त किया जाय।

एक बात मैं विशेष रूप से शिक्षा मन्त्री महोदय से कहना चाहता हं कि किसी देश की राजभाषा कैसे बनती है। जिस समय कमाल पाशा ने तुर्की को भ्रपने राज्य की भाषा बनाना चाहा तो उसने - तमाम भाषाविदों को ग्रामन्त्रित किया ग्रीर उनसे पूछा कि स्राप मुझे बतलाइये कि तुर्की को राजभाषा बनाने में कितना समय लगेगा । उन्होंने जवाब दिया कि तुर्की को राज भाषा बनाने के लिए कम से कम ६ वर्ष लगेंगे। इस पर कमाल पाशा ने, सूना है कि, उस समय यह भ्रादेश दिया कि समझ लीजिये कि कल प्रातः काल ६ बजे वह ६ साल स्रापके परे हो गये। पंडित नेहरू जैसे अपने बहुत से भाषणों में कहते हैं कि हमने श्राजादी प्राप्त की है उसे संभालने में हम कहीं गिरेंगे, कहीं हम उठेंगे, कहीं हम सीधे चलेंगे ग्रौर कहीं हम बैठेंगे तो यह जो उठने, बैठने श्रीर गिरने की बात हम ग्राज कहते हैं तो भाषा के सम्बन्ध में भ्रापकी वह नीति कहां समाप्त हो जाती है वैंक कहीं हम गिरेंगे और कहीं हम उठेंगे ?

अगर दढ़तापूर्वक आप निश्चय कर लें तो जो १४ साल की अवधि निश्चित की थी उस १४ साल की अवधि के भीतर हम अपने लक्ष्य तक पहंच सकते हैं लेकिन सीधी सादी बात यह है कि ग्रापके दिमागों में वह पवित्रता म्राज विद्यमान नहीं है जिस समय ग्रंग्रेज हिन्दुस्तान को स्वाधीनता देने के लिये हिन्द मस्लिम एकता का नारा लगाया करते थे भौर कहते थे कि पहले हिन्दू मसलमान दोनों एक हो जायं उसके बाद हम हिादुस्तान छोड कर विलायत चले जायेंगे । वह ऐसा इसलिये कहते थे कि वह दिन तो उनके रहते ग्राना नहीं स्रौर न वह स्त्रासानी से यहां से जायेंगे। श्राज मझे वही श्रंग्रेजों वाली चाल का स्मरण हो त्राता है जब हमसे यह कहा जाता है कि पहले दक्षिण भारत वालों को हिन्दी के लिये तैयार कर लीजिये। लेकिन मैं उन मित्रों को जो कि यह कहते हैं बतलाना चाहता हं कि म्राप दक्षिण भारत में जाकर देखिए कि हिन्दी वहां पर कितनी फैल चक़ी है। ग्राप इन दो, चार लीडरों के जो कि राजनैतिक नारा लगाते हैं उनकी बातों में मत श्राइये । श्राज हकीकत यह है कि दक्षिण भारत में हिन्दी का काफी प्रचार हो चुका है और हो रहा है और जैसे कि हमारे एक दक्षिण भारतीय मित्र ने कहा वहां का कूली भी जो स्टेशन पर काम करता है वह भी स्नासानी से हिन्दी को समझ लेता है । इसलिये इन राजनीतिक नारों के चक्कर में स्राकर देश की प्रमख समस्या को पीछे फेंकने का यत्न न कीजिए।

में अन्त में अपने वक्तव्य को समाप्त करते हुए एक महान् साहित्यकार की चन्द पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं जो कि दुर्भाग्य से आज हमारे मध्य में नहीं हैं और हमारे देश को जिनके निघन का बहुत ही शोक है। उनका नाम था महा कि निराला। निराला जो ने मरने से कुछ समय पहले जब वह इतने अधिक दुबंल हो गये कि वह अपने घर से बाहर भी नहीं जा सकते थे ती कुछ लोगों ने उनके घर पर जाकर उनका सम्मान किया । यह उनके जीवन का ग्रन्तिम सम्मान श्रा ।

उस ग्रन्तिम सन्मान के वक्त उन्होंने जो शब्द कहे, उन की ग्रोर में शिक्षा मंत्री जी का घ्यान विशेषकर दिलाना चाहता हूं, क्योंकि उन के कंधों पर वह दायित्व है ग्रीर इस सदन की उन से यह ग्राशा है कि वह महान् साहित्यकारों ग्रीर दिवंगत् ग्रात्माग्रों की भावनाग्रों ग्रीर ग्राकांक्षाग्रों को पूर्ण करेंगे।

भाषा के सम्बन्ध में उन के शब्द ये हैं---

"श्राज भाषा श्रौर साहित्य तो राजनीति के श्रस्त्राशस्त्र बन गये हैं। हिन्दी की जो दुर्दशा हो रही है, उसे में श्रव श्रौर नहीं देख सकता। श्रंग्रेजी ही श्राज सर्वेप्रिय भाषा बनी हुई है। जनता समझे या न समझे, पर वही जनकल्याणी समझी जाती है। . . . संस्कृत तो श्राज श्रपने ही घर में मृतक भाषा कही, सुनी श्रौर मानी जाती है। विदेश वाले इस का मृल्यांकन कर रहे हैं, यह दूसरी बात है, पर श्रपने लोगों की बृद्धि की बिलहारी है।"

महाकवि निराला ने अपने जीवन के अन्तिम सन्मान में जो शब्द कहे, वे मेरे इस भाषण से कहीं अधिक मूल्यवान् हैं और मेरी बात को समझाने में अधिक समर्थ हैं।

श्री जगबीश श्रवस्थी (बिल्हौर): सभापित महोदय, इस द्वितीय लोक सभा के श्रन्तिम दिन हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक प्रस्तुत कर के सरकार ने बहुत श्रज्छा कार्य किया है। इस सदन का श्रवसान जिस उत्तम विधेयक के साथ हो रहा है, उस के श्रन्तगंत जिन उद्देश्यों की चर्चा की गई है, उन में से एक उद्देश्य की पूर्ति हो गई है। लेकिन मुझ से पूर्व माननीय सदस्य, श्री शास्त्री, ने 2066 (Ai) LSD—5

जो जो शंकायें इस बिल के सम्बन्ध में उठाईं, लगभग वही शंकायें मेरे मन में हैं। मैं उन को दोहरा कर इस सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता।

इस बारे में मैं इतना ग्रवश्य कहना चाहंगा कि ग्रगर शिक्षा मंत्री महोदय ने इस सदन में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इतिहास भौर उस के कार्यों और गतिविधियों की एक संक्षिप्त रूप-रेखा प्रस्तुत की होती, तो शायद हमारे ग्रहिन्दी-भाषी मित्रों को इस प्रकार की शंकायें उठाने और ग्रप्रासंगिक बातों को कहने का ग्रवसर न मिलता। ग्रच्छा हो कि ग्रव भी शिक्षा मंत्री इस विधेयक के पारित होने के पश्चात् ग्रहिन्दी-भाषाभाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रत पैदा हुए ग्रनादर और गलत-फ़हमी को दूर न करने के लिए सम्मेलन की कार्यवाहियों और उस के इतिहास की एक रूप-रेखा प्रस्तुत कर दें।

14.12 hrs.

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

इस विधेयक के द्वारा सम्मेलन को एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने का जो उद्देश्य प्रकट किया गया है, सचमुच वह बड़ा सुन्दर उद्देश्य है और उस के लिए हम सरकार को बघाई देते हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री महोदय ने सम्मेलन की म्रान्तरिक गडबडियों से विवश भौर वाध्य हो कर सरकार की भ्रोर से एक प्रबन्ध समिति बनाये जाने की चर्चा भी की है। उस समिति की रूप-रेखा को देख कर शंका होती है। देखने में तो ऐसा लगता है कि सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा. वह एक ग्राटानोमस बाडी रहेगी ग्रौर सरकार की तरफ़ से उस में कोई इन्टरफ़ीयरेंस नहीं होगा । लेकिन ग्राप को मालम होगा कि काशी विश्वविद्यालय और ग्रलीगढ़ के मुस्लिम विश्वविद्यालय के माटानोमस बाडीज होने के बावजद सरकार की ग्रोर से उन के सम्बन्ध में कितनी मनमानी की गई है, जिस के परिणाम-स्वरूप उन की इंडिपेंडेंस समाप्त हो गई है

### [श्री जगदीश ग्रवस्थी]

भौर उन में फिर गडबडियां पैदा हो गई हैं। श्रभी भले ही यह बात स्पष्ट न हो कि सरकार का इस में कोई हस्तक्षेप होगा. लेकिन जैसा कि श्रभी शास्त्री जी ने कहा है. सरकार की श्रभी तक जो नीति रही है. उस की कथनी और करनी में जो भेद रहा है, उस को देखते हए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन की जो प्रबन्ध समिति बनेगी ---प्रथम ग्रौर उस के बाद दितीय----उस में सरकार अपने ढंग से अपना आधिपत्य रखेगी। इस बात की शंका भी हो सकती है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह विधेयक लाया गया है, उस की हम अरथी निकालें। मैं समझता हं कि जो शंका शास्त्री जी ग्रौर दूसरे माननीय सदस्यों के मन में है. उस को दर किया जाना चाहिए ।

सम्मेलन के तीन मुख्य उद्देश्य हैं---हिन्दी साहित्य के सम्बन्ध में विविध विषयों की ग्रच्छी पस्तकें तैयार करना, ग्रपनी परीक्षाओं के द्वारा हिन्दी भाषा को प्रचारित करना और ग्रहिन्दी-भाषाभाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रति रुचि पैदा करना । लेकिन जहां तक इस सरकार की हिन्दी सम्बन्धी नीति का प्रश्न है, वह स्पष्ट है। शास्त्री जी ने ठीक कहा है कि सरकार ग्रभी स्वयं मन्थर गति से चल रही है। जब तक हमारी सरकार और उस के मंत्रियों के मन में यह भावना रहेगी कि इस देश में ज्ञान के भंडार को प्रकट करने के लिए भ्रंग्रेजी ग्रनिवार्य भौर ग्रावश्यक है. तब तक चाहे वह हिन्दी साहित्य सम्मेलन को एक स्मारक के रूप में रखे और चाहे हिन्दी को राजभाषा का नाम दे दे, हिन्दी भाषा पनप नहीं सकती । ग्रगर सरकार वास्तव में यह चाहती है कि चाहे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के द्वारा ग्रीर चाहे उस की ग्रपनी कार्यकारिणी के द्वारा हिन्दी भाषा इस देश में पनपे, तो उस को श्रपनी नीति में परिवर्तन करना होगा।

जहां तक देश की ग्रन्य भाषाग्रों का प्रश्न है, निश्चित रूप से उन के प्रति हिन्दी की

द्रमनी या विरोध नहीं है, बल्कि उस का सब से बडा विरोध ग्रंग्रेजी भाषा से है । जिस प्रकार से अंग्रेजों के जमाने में हिन्दू-मस्लिम श्रापस में लड़ा करते थे भ्रौर उस का मुख्य कारण भ्रंग्रेज हमा करते थे. उसी प्रकार भ्रंग्रेजी के कारण ही भाषा सम्बन्धी मतभेद देश में नजर भाते हैं। हमारे राजनीतिक नेता कहते हैं कि ये भाषायी विवाद हैं, लेकिन तथ्य यह है कि इस देश में गजराती-पंजाबी या तिमल-बंगाली का कोई झगडा नहीं है-ये तो राजनीतिक झगडे हैं। भिन्न भिन्न भाषात्रों के ये पारस्परिक झगडे कृत्रिम हैं। ग्रसल में झगड़ा तो ग्रंग्रेजी भाषा से है। जब तक अंग्रेजी भाषा सरकारी काम-काज म ग्रौर सार्वजनिक जीवन मे घस कर बैठी रहेगी, तब तक इस देश में न केवल हिन्दी बल्कि ग्रन्य प्रान्तीय भाषायें भी कभी भी पनप नहीं सकती हैं। यदि सचमच हिन्दी भाषा और ग्रन्य भाषात्रों के बीच में सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने हैं. तो इस देश के सरकारी काम-काज ग्रौर सार्वजनिक जीवन में श्रंग्रेजी भाषा की समाप्ति होनी चाहिए । ऐसा करने पर ही हिन्दी साहित्य सम्मेलन का जो उद्देश्य इस विधेयक मैं घोषित किया गया है. उस की पूर्ति हो सकेगी।

श्रन्त में में यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार चाहती है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन की संस्था फले-फूले, तो उन त्रुटियों और किमयों को दूर करने काप्रयत्न किया जाना चाहिए, जिन की वजह से सम्मेलन की गिः विधियों में अवरोध हो गया था और जिन के कारण कोई भी संस्था आगे नहीं बढ़ं पाती है।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस विधेयक का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो विचार रखें गये हैं, शिक्षा मंत्रालय उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी मुश्किल **यह** है कि ढाई बजे तक यह बहस खाम होनी चाहिए भ्रौर मैं देखता हूं कि बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री रामजी वर्मा (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, पी० एस० पी० की तरफ़ से कोई सदस्य नहीं बोला है। इसलिए मुझे बोलने का मौका दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां पी० एस० पी० श्रौर दूसरी पार्टियों का सवाल नहीं है । हर एक इलाके के माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया गया है । सोशालिस्ट पार्टी के दो माननीय सदस्य बोल चुके हैं ।

श्री मं० रं० कृष्ण : नान-हिन्दी एरिया ?

उपाध्यक्ष महोदय : नान-हिन्दी एरिया से भी कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं। हम ने हाउस की कार्रवाई पांच बजे जरूर खत्म करनी है। इसलिए यही एक तरीका है कि अगर माननीय सदस्य तैयार हों, तो नान-आफ्रिशल बिजिनेस से आधा घंटा ले लिया जाये।

कु**छ माननीय सदस्य**ुः ले लिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : जिन माननीय सदस्यों के रेजोल्यूशन हैं, वे एतराज तो नहीं करेंगे ?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रव माननीय सदस्य सिर्फ पांच पांच मिनट लें । श्री रामजी वर्मा ।

श्री रामजी वर्मा : उपाघ्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जिस बिल को पेश किया है, में उस का स्वागत करता हूं । श्राप जानते हैं कि स्वतंत्रता-संग्राम के इतिहास में जो स्थान कांग्रेस श्रारगनाइजेशन को है, भारत-माता को एक जुबान देने के रचनात्मक कार्यक्रम में वही स्थान हिन्दी साहित्य सम्मेलन को है ।

श्री रघुनाथ सिंह : कांग्रेस को श्रापने माना, बहुत धन्यवाद ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : ये भी तो पहले कांग्रेसी थे ।

श्री रामजी वर्मा: पहले की कांग्रेस श्रीर अब की कांग्रेस में फर्क है। चूंकि श्राज कांग्रेस बहुत बदल गई है इसलिए उसी का यह परिणाम भी है कि जिस संस्था को श्रापको बहुत पहले ही अपना लेना चाहिए था, उसको तब न अपना कर श्रव अपना रहे हैं। यह बिल बहुत विलम्ब से श्राया है श्रीर इसका भी यही कारण है कि श्राज की कांग्रेस पहले की कांग्रेस से भिन्न है।

हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा माना गया है। इसको राष्ट्र भाषा के रूप मे मान्यता दे कर एक काम सम्पन्न हो चुका है। किन्तू भारतवर्ष के कोने कोने में लोग हिन्दी की कई मानों में विवेचना करते हैं। मैं समझता हं कि बहुत स्रासानी से इसका निराकरण हो सकता है ग्रव जिबकि सरकार ने इस काम को अपने हाथ में लिया है। आप जानते ही हैं कि हिन्दी और उर्द दोनों की क्रियायें एक हैं। लेकिन हिन्दी वाले जो शब्द हैं, उस भण्डार को संस्कृत से लेते हैं श्रौर उर्द वाले पश्चिम भीर भरबी से लेते हैं। यहीं पर जा कर भेद या जाता है ग्रौर इसी कारण से हिन्दी ग्रीर उर्दु दो ग्रलग ग्रलग भाषायें हो जाती हैं। मेरा निवेदन है कि यह भेदभाव भी हट सकता है। हिन्दी को विलष्ट रूप देने का एक कारण यह है कि कुछ लोग समझते हैं कि हिन्दी का भण्ड।र सिर्फ संस्कृत से ही भरा जा सकता है। यह एक प्रकार की संकीर्णता या कट्टरता उन लोगों की है जो हिन्दी के ऐसे एक क्षेत्र जैसे बनारस, ग्रलाहाबाद म्रादि में रहते हैं।

अपने दस बरस के पार्लिमेंटरी जीवन में मुझै जब कभी दक्षिण में जाने का अवसर मिला है, मदुराई, त्रिचनापल्ली, रामेश्वरम् इत्यादि जाने का अवसर मिला है तो मैंने

#### [श्री रामजी वर्मा]

Hindi

पाया है कि स्टेशन पर जो कूली होते हैं उन से डील करने में कहीं पर भी किसी किस्म की कठिनाई नहीं होती है । लेकिन कस्बों में म्राप जाइये. पढे लिखे लोग में सुसस्कृत लोग में ग्राप जाइये, न वे हमारी भाषा समझते हैं श्रीर न हम उनकी भाषा समझते हैं, इस वास्ते सिवाय अग्रेजी में बोलने के और बातचीत करने के श्रीर कोई चारा शेष नहीं रह जाता है। मैं समझता हू कि भारत के कोने कोने में साधारण लोग, कुली लोग, जो अपढ़ कहलाते हैं वे बहुत जल्दी हिन्दी को ग्रास्प कर लेते हैं। यदि दढ निश्चय कर लिया जाये तो हिन्दी के प्रचार में कोई रुकावट पैदा नहीं हो सकती और न ही कोई कठिनाई उपस्थित हो सकती है। मैं तो यह कहता हं कि जो हिन्दी के उस रूप के बहत कट्टर समर्थक हैं जिसको कि संस्कृताइज्ड हिन्दी कहा जाता है. श्रीर भाषाश्रों के सम्मेलन करवा कर, उन सम्मेलनों में उनको भ्राप भिजवायें ग्रीर वे जा कर उन सम्मेलनां में भाग लें। मैंने कहा है कि रेल यात्रा के जरिये कली हिन्दी को ग्रास्प कर लेते हैं। मैं उस दिन. जब रेलवे बजट पर बहस हो रही थी कह रहा था कि लोगों में भारतीयता की पैदा करने के लिए रेल यात्रायें बहत आवश्यक हैं। मैं चाहता ह कि इन विद्वान को, काशी के विदान को ग्राप दक्षिण में भेजें ग्रीर तमिल. तेलेग, मराठी, गजराती इत्यादि भाषाग्र के विद्वान से मिलाइये और यदि ऐसा किया गया तो मेरा विश्वास है कि इन लोगों की जो यह संकीर्णता है, वह दूर होगी स्रौर जो यह समझते हैं कि हिन्दी का भण्डार सिर्फ एक सोर्स से ही भरा जा सकता है, उसको एक विस्तत क्षेत्र मिलेगा ग्रीर हिन्दी बहुत जल्दी भ्रागे बढ सकेगी । तमिल, तेलेग, गजराती, मराठी, बंगला इत्यादि भाषाग्रं को जो एक माला बनेगी, उन भाषाग्रां की शिरोमणि लोग इसको समझेंगे ग्रौर स्वेच्छापूर्वक इसको भ्रपना लेंगे भ्रौर तब एक फारेन लैंगएज की तरह की लगएज हिन्दी नहीं रहेगी। भ्राज जो

संकीर्णता दक्षिण वालों में है या उत्तर वालों में है, यदि ऐसा किया गया जैसा मैंने सुझाया है, तो वह भी मिट जायेगा । मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जहां बहुत से दूसरे मार्ब्जैक्ट्स इस सम्मेलन के हैं, वहां उन में एक इस मार्ब्जैक्ट पर भी वह घ्यान दें ग्रीर इसको भी उसमें स्थान दें।

मैं एक यह बात भी कहना चाहता हूं कि टाइप की दृष्टि से, छापे की दृष्टि से भी हिन्दी को ग्रीर सरल तथा सुबोघ बनाया जा सकता है ग्रीर बनाया जाना चाहिए।

अन्त में इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हं कि जिस काम को बड़े बड़े ऋषिये। मनिया ने हाथ में लिया है, दयानन्द सरस्वती ने जो काम हिन्दी के लिए किया है, महात्मा गांधी का जिस संस्था को भाशीर्वाद प्राप्त हम्रा है भौर जिस संस्था को राजींष टंडन जी ने पनपाया है, उसको राष्ट्रीय महत्व की संस्था का रूप देने के लिए जो विघेयक यहां उपस्थित किया गया है, वह बहुत देर से आया है लेकिन फिर भी मैं कहंगा देर भ्रायद दूरस्त भ्रायद। मैं इतना ही कह सकता हं कि इस संस्था को श्राप श्रपने हाथ में ले कर के इस के काम की श्रपनायें और यदि श्रापने ऐसा किया तो न सिर्फ भारत की एकता बढेगी, बल्कि देश का बहत भारी हित होगा। भारत की एकता पहले भी राज शासन के जरिये नहीं बढा करती थी, बल्कि जो तीर्थ स्थान हैं, उनके जरिये बढ़ा करती थी. रेल यात्राम के जरिये बढ़ा करती थी. सांस्कृतिक कार्य-क्रमों के द्वारा बढा करती थी। मैं समझता हं कि भ्रब यह कार्य बहत ग्रासानी से सम्पन्न हो सकता है यदि स्नाप लोग को इस तरह से मिलने का बार बार ग्रवसर दें। यदि भारत माता को एक जुबान मिलेगी तो राष्ट्रीयता भ्राप से भ्राप बह्रेगी।

Shri M. R. Krishna: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I welcome this Bill and I strongly extend my support to this Bill. One day Hindi has to take the [Shri M. R. Krishna]

place of English and not only the States in the North but the States in the South also are very keen and are making efforts to see that Hindi is taught in the schools. In some of the States in order to develop the regional languages they want to make the Indians strangers. For instance when I

dians strangers. For instance when I went to Gujarat, I saw the telephone directory printed perhaps by the Central Government in Gujarati language. No body, not even a person knowing Hindi from U.P. who happens to go to Gujarat cannot but feel a stranger. This kind of a tendency will have to go. It is time that some language, particularly Hindi, takes the place of English.

People who want to propagate Hindi are very honest and sincere to see that this language spreads throughout the country but when the question money comes, they try to get back and hesitate to do anything. I can give you instance. The Government India wanted to start a Hindi University in South: for various reasons they chose Hyderabad. The people of Hyderabad and the Government said that they would be able to provide all facilities to the Government to build a Hindi University. But then the Government of India backed out for the simple reason that they wanted the existing Osmania University to be converted into a Hindi university. When you wanted to have a college or university in the South it is not just to give some importance to the State but to create interest in the people of those areas and to make this language very attractive. If that is the object, there is no reason why the Government should go back on the original proposal. If they do not prepare Hyderabad for that they can prepare some other place in the South. They can of course have a centre in U.P.; nobody would object to it. Just as my friend Shri Muniswamy suggested, there could be four centres to cater for the entire country. We know how various types of religions have come into this country and how people with missionary zeal have spread those religions in the various corners of the country. If the Hindi knowing people

who are keen to make it the official language do not like to make certain sacrifices, it will be very difficult for the country to know Hindi and for the Southern States to take up to Hindi. Therefore, it is the duty of the people who want that Hindi should spread over the whole country to make some little sacrifices. My friend suggested that some pandits from the North should go to the South in order to meet and mix with the people there and make them understand the greatness of this language. Today in the South there is no State which is hesitant to spread Hindi. In every school and college Hindi is being taught. Most of the Ministers in the State are taking religiously to Hindi and trying to learn Hindi in every way. It is not so much that the South is afraid of having Hindi. But most of the people who speak about Hindi really create some suspicion and fear in the minds of the people who really want to spread Hindi in those areas. For instance, in the Central Secretariat and other places when they say that Hindi should be a language which should be learnt by everybody to get into the service, naturally a person from the South will have a certain amount of fear. In the Defence Services, if a man learns a new trade he is paid a certain allowance. If that kind of an incentive is given by the Central Government and if it properly assists the State Government to spread Hindi, I think there will be very little difficulty to spread the language in non Hindi speaking areas.

श्री रघुनाथ सिंह : उपाघ्यक्ष महोदय, श्रहिन्दी भाषा भाषी सदस्यों ने जो शुभेच्छा हिन्दी के प्रति प्रकट की है उस के लिये उन के प्रति बड़ा ग्राभार प्रकट करते हैं। घन्यवाद देते हैं। हमारी ऐसी कामना है कि हिन्दी का प्रश्न केवल हिन्दी भाषा भाषियों का ही प्रश्न न रहे। वह सारे देश का प्रश्न है। सारे देश के लोगों को मिल कर इस भाषा को ऐसा बनाना चाहिये ताकि वह भाषा सारे देश में फैल सके।

जहां तक हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सम्बन्ध है, हिन्दी साहित्य सम्मेलन

### [श्री रघुनाथ सिंह]

के सभापितयों को ग्रगर ग्राप देखेंगे तो पायेंगे कि महाराष्ट्री, पंजाबी, बंगाली, सौराष्ट्री ग्रीर दूसरे भाषा भाषी लोग उस के सभापित रह चुके हैं। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापितयों में हिन्दी भाषाभाषियों की संख्या शायद भल्प ही होगी। ज्यादातर ग्रहिन्दी भाषाभाषी लोग हिन्दी साहित्य सम्मेलन सभापित हुए। डा॰ ग्रणे साहब ने बड़ी सुन्दर भाषा में कहा है कि राष्ट्रध्वज के साथ राष्ट्रभाषा का होना भी ग्रावश्यक है। राष्ट्र भाषा का प्रश्न एक राष्ट्रीय प्रश्न है। यह केवल हिन्दी भाषाभाषियों का ही प्रश्न नहींहै।

हिन्दी भाषा अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है। फीजी में, मारिशस में, नेपाल में करोब दो तिहाई लोग हिन्दी भाषाभाषी हैं। बरमा में आप जायें तो पायेंगे कि वहां अब भी १६ या १७ लाख आदमी ऐसे हैं जो हिन्दी भाषा बोलते हैं। हिन्दी भाषा का सम्बन्ध केवल भारतवर्ष से ही नहीं। हिन्दी भाषा का सम्बन्ध है। इस लिये हम को हिन्दी भाषा को ऐसी बनाना चाहिये कि वह केवल हिन्दुस्तान तक ही सोमित न रहे। हिन्दुस्तान के बाहर भी जो हमारे देश के भाई हैं उन की भाषा भी वह रहे।

चूंकि हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सम्बन्ध में यह विधेयक यहां पास हो रहा है इस लिये में निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भाषा किसी पर लादी नहीं जा सकती। ग्रादमी अपने धमं का परिवर्तन कर लेता है, लेकिन अपनी भाषा का परिवर्तन नहीं करता। इस लिये ग्रागर ग्रहिन्दी भाषाभाषियों में ऐसी कोई भावना हो कि हम किसी पर जबर्दस्ती हिन्दी लाद सकेंगे तो

बह एक भ्रम है। सिवचारपूर्ण भावना है। हिन्दी तभी सफल हो सकती है जब कि उस में परिहत की भावना और शान्ति की भावना उस मे रहेगी। एक भाई ने सुझाव दिया है, उत्तरी हिन्दुस्तान के लोग दक्षिण में जायें और हिन्दुस्तान के बाहर जायें। एक ऐसे जीवन को ग्रपना कर जायें जिस मैं उन को सिर्फ सेवा ही करनी हो। उन को ग्रपने जीवन को लगा देना है एक भाषा के वास्ते। तभी हिन्दी की उन्नति हो सकती है। कानून बनाने से या हिन्दी को जबर्दस्ती लादने की भावना से हिन्दी का उपकार नहीं होगा बिन्क उस से हिन्दी का

एक बात अन्त में मुझे यह कहनी है कि भारत की पराधीनता से मुक्ति हुई। लेकिन भाषा की दासता से भी मुक्ति प्राप्त होनी चाहिये। अभी हमारे भाइयों में अंग्रेजी के प्रति बड़ी अच्छी भावना है, उस के प्रति बड़ा म्रादर है। भाषा भ्रवश्य सीखनी चाहिये लेकिन यह जो मानसिक दासता है उस दासता को हमें दूर करना चाहिये। ग्रगर हम एक स्वतन्त्र राष्ट्र हैं तो स्वतन्त्र राष्ट्र की भाषा को भी स्वतन्त्र होना चाहिये। चाहे हिन्दी का कोई रूप हो, लेकिन जिस तरह से हमारे राष्ट्र का ध्वज है उसी प्रकार हमारे राष्ट्र की भाषा होनी चाहिये। हमे स्राशा है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन का यह विधेयक जिसे हम माज पारित करो हैं वहां के लोग मिल कर एक शुद्ध भावना से, सेवा की वित्त से काम करेंगे। हम को अपने देश के लिये एक भाषा बनानी है। देश को एक भाषा देनी है। हिन्दी को केवल देश तक ही सीमित नहीं रखना है, देश के बाहर भी भेजना है।

Dr. K. L. Shrimali: Mr. Deputy-Speaker, first of all, I should like to thank all hon. Members from all sections of the House who have supported this Bill. There has some misunderstanding in the mind of one hon. Member, Shri Thanu

Pillai. I tried to explain to him, but it seems he still maintains that we are doing something which is proper and which could probably be postponed. He has misunderstood it. He thinks that we are conferring new powers on this institution and thinks that it is a new university. That is not so. The Hindi Sahitya Sammelan has been in existence for nearly half a century. During these last 50 years it has been doing all the work; it has discharged all the functions which are laid down in this Bill. If the hon. Member had known the history of the Sammelan, if he had known that the Hindi Sahitya Sammelan is already conducting examinations and has been conducting them for the last several years, probably he would not have said what he said about the institution.

He also suggested that we might postpone consideration of the Bill and bring it before the next Parliament and asked why we should rush it on the last day of this Parliament. It was our original intention to bring measure before the new Parliament: the Government had taken a decision sometime back and we thought that when the new Parliament meets we could bring this Bill before it. In the meanwhile, Shri Purushothamdas Tandon, who has been aling for the last several months, made a request that since the Government have already taken a decision, this Bill might be passed through this Parliament. He has been an esteemed member of this House and he has rendered great service to the country. He is one of those people who have made a great contribution to this country. We may have differences with him, but nobody will doubt about the valuable contribution he has made to the development of Hindi and Indian culture. It is for this reason and for the respect which we have-which all hon. Members of the House have-tnat we thought it would be proper to respect his wishes in this matter, and I am happy that the House has generally welcomed this measure. I am

sure that Tandonji who is at present in his sick-bed would be happy about this.

Shri Thanu Pillai also suggested that we might delete sub-clauses (e) to (k) of clause 6. If we delete them, we will make the institution absolutely useless. It cannot exercise functions which it has been exercising all these years. Shri H. Mukeriee rightly suggested that should also keep in view the various other institutions which are doing work of a similar nature and which are of national importance. the recent months, the Government of India have taken various measures to bring in all such institutions and have either declared them as institutions of national importance or brought them under the purview of University Grants Commission by giving them university status. Jamia Millia, the Gurukul, the Kashi Vidvapeeth and the Guiarat Vidvapeeth are some of the institutions which have been recently visited by committees appointed by the Government of India, and the University Grants Commission is considering to give them University status. I hope very soon all these institutions which had rendered valuable service be considered as universities for the purpose of the University Grants Commission Act.

With regard to the other institutions certainly wherever such institutions exist, the Government will certainly bring forward similar measures. I may also inform Shri H. N. Mukerjee that we have already written to the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha to let us know whether they are willing to have a similar Act passed in Parliament, and I am glad to say that they have agreed, and very soon the Government will bring forward a measure declaring that institution also as of national importance.

I am afraid I was not able to appreciate Shri Tyagi's criticism. He cri-

#### [Dr. K. L. Shrimali]

ticised that the Government of India is spoiling Hindi. There is a sort of vague criticism that we are coining words which are not relevant. The Government of India have recently brought out a glossary or dictionary of all the technical words. The first volume is already out and the second volume will be out within a few days. If Members care to go through that dictionary, they will find that the Government of India have not only accepted but also implemented the spirit of the Constitution, so far as Hindi is concerned.

Hindi

Some Members of the House had some suspicion with regard to the style of Hindi. Prof. Mukerjee and some others thinks we may make it a type of Hindi which may not be acceptable to the country or understood by the country. If it happens, it is obvious that the whole purpose is defeated. Therefore, I moved an amendment in the Rajya Sabha and we have made it clear that one of the functions of the Sammelan would be:

"(a) to promote the spread of Hindi language and to develop it and secure its enrichment in the manner indicated in article 351 of the Constitution."

This clause was not there in the original Bill which we introduced in the Rajya Sabha. But later on, some doubt was expressed. As far as we are concerned, the whole controversy was over as soon as the Constitution was passed. Shri Oza made a controversy with regard to the Hindi Sahitya Sammelan It was true there were dif-Tandonji ferences between Gandhiji on this issue and Gandhiji parted company with the Hindi Sahitva Sammelan. This is a well-known historical fact. But after the Constitution was passed, this controversy with regard to Hindi and Hindustani is over, so far as Government is concerned. When we brought this measure, we were anxious that there should be no fears or anxiety in the minds of Members regarding the style of Hindi. So, we have made it clear that this Sammelan will promote the spread of Hindi, develop it and secure its enrichment in the manner indicated in article 351 of the Constitution. which means the style of Hindi will reflect the composite culture of the country.

If Hindi is really to take its due place, it should necessarily not only give, but take and assimilate the words and styles of all the Indian languages. It is only then that it can truly become a national language. That is the effort that we have been making and the Sammelan also will strive towards it. To be fair to Tandonji, I might explain to the House that when I put it to him that I was going to accept this amendment, he agreed. That should allay the fears and suspicions from the minds of all people. Government's intentions are very clear. We shall abide by the Constitution and we shall work in accordance with the spirit in which the Constitution was framed. So, with regard to this matter, I do not think Members should have any fears or anxiety.

Shri Guha said we were discriminating. He had some kind of misunderstanding about this measure. There is no discrimination. In fact, he would remember that after the poet's death, Shantiniketan was the first institution which was declared an institution of national importance, immediately after independence. We are proud of it. Where such institutions exist, in the north, south, east or west it will be Government's endeavour to declare them as institutions of national importance.

One or two Members suggested that it would be better to shift the headquarters of this institution from Allahabad to Hyderabad. In this matter. I am afraid I do not agree with the hon Member. There is some sentiment attached to the institution. The Sammelan has had its birth at Allahabad and it has developed at Allahabad.

where it has done all its activities. Now it is not easily understandable why it should be shifted to Hyderabad.

In this connection, I might inform the House that we are going to declare the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha as an institution of national importance. This institution has been serving the needs of the southern region. It is also our intention in course of time to have an All-India Federation of Hindi Organisations, in which all these bodies from the north, south, east and west can come together and propagate the cause of Hindi. I hope this All-India Federation of Hindi Organisations will soon come into existence and they will be able to coordinate these activities. There is no duplication of work and there is no rivalry between them.

Shri Prakash Vir Shastri and I think another hon. Member expressed a fear that Government might intervene in the day-to-day affairs of the institution and its autonomy might be affected. This has not been the policy of the Government. The hon. Member was quite wrong when he suggested that we are interfering in the administration of autonomous bodies. He has not given a single example where the Government has interfered and the autonomy of any institution has been affected. He named two universities where intereference was necessary. Government have a certain duty and responsibility towards the institutions. As long as the institutions are performing their task. Government do not interfere. But if the institutions do not perform the task for which they had been set up, autonomy becomes meaningless. It is the duty of Government to interfere in such cases.

The Sammelan is an example. Why was it necessary for the U.P. Government to enact legislation? If the institution had carried on its activities properly, it would have been declared as an institution of national importance, but it would not have been the case that the governing body is com-

pletely nominated by Government. It has become necessary because the institution has not functioned properly; it has failed to discharge its duties and responsibilities and it is the duty of the society and the Government to interfere whenever such a state of affairs exists in the institutions.

With these words, I appeal to the House that the Bill may be passed.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Bill to declare the institution known as the Hindi Sahitya Sammelan having its head office at Allahabad to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and matters connected therewith, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Mr. Deputy-Speaker: We will now take up the clause by clause consideration. Does Dr. Samantsinhar want to move all his amendments?

**Dr. Samantsinhar** (Bhubaneshwar): Yes, Sir.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 4— (Incorporation)

Dr. Samantsinhar: I beg to move:

Page 2, line 15,-

For "Allahabad" substitute "Hyderabad". (1).

Mr. Deputy-Speaker: I will now put the amendment to the vote of the House.

Amendment No. 1 was put and negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clause 4 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

2715

Clause 4 was added to the Bill

Clauses 5 and 6 were added to the Bill.

Clause 7- (Governing Body).

Dr. Samantsinhar: I beg to move:

Page 4, line 14,-For "seven" Substitute "eleven", (2)

Page 4, line 15-for "or" substitute "and" (3).

Page 4 line 15-after "Hindi Scholars" insert

"of which at least seven shall be from non-Hindi speaking States" (4).

Mr. Deputy-Speaker: I will now put the amendments to the vote of the House.

Amendments Nos. 2, 3 and 4 were put and negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clause 7 stands part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

Clause 8.— (First Governing Body and its duties)

Dr. Samantsinhar: I beg to move:

Page 4. line 39,-after "Hindi literature" insert

"of which at least four shall be from non-Hindi speaking States" (5)

Mr. Deputy-Speaker: I will now put the amendment to the vote of the House.

Amendment No. 5 was put and negatived

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clause 8 stands part of the Bill"

The motion was adopted

Clause 8 was added to the Bill.

Clauses 9 to 11 were added to Bill.

Clause 12 .- (Rules to be made by the first Governing Body)

Shri Raghubir Sahai: I beg to move-

Page 7, lines 8 to 10,-

for "by the first Governing Body in such manner as the Central Government may by order direct" substitute

"in the Official Gazette" (6).

Page 7, omit lines 11 and 12, (7)

Mr. Deputy-Speaker: I will now the amendments to the vote of House

Amendments Nos. 6 and 7 were put negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question tion is:

That clause 12 stands part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 12 was added to the Bill.

Clauses 13 to 15 were added to Bill.

Clause 16:- (Accounts and Audit)

Dr. Samantsinhar: I beg to move: Page 8, line 9,-omit "As soon as

Page 8, line 11,-add at the end-

may be practicable" (8).

"and laid on the Table of both the Houses of Parliament as soon as may be practicable" (9)

Mr Deputy-Speaker: I will now put the amendments to the vote of the House

Amendments 8 and 9 were Dut and negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

That Clause 16 stands part of the the Bill."

The motion was adopted. Clause 16 was added to the Bill Clause 17- (Power to make rules)

Shri Raghubir Sahai: I beg to move:

Page 8, lines 16 and 17,-

for "by the Governing Body in the prescribed manner" substitute "in the Official Gazette" (10).

Page 8,-after line 17, insert-

"(3) The Central Government shall cause every rule made under this Act to be laid as soon as may be after it is made before each House of Parliament, while it is in session for a total period of thirty days, which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if before the expiry of the session, in which it is so laid or the session immediatly following, both House agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, that rule shall thereafter have effect, only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of any thing previously done under that rule." (11),

Mr. Deputy-Deputy: I shall now put the amendments to the vote of the House.

Amendments Nos. 10 and 11 were put and negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clause 17 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 17 was added to the Bill.

Clauses 18 and 19 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the long Title were added to the Bill.

Dr. K. L. Shrimali: beg to move: "That the Bill be passed"

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

Resolution re:

Social Service by University Students

"That the Bill be passed"
The motion was adopted.

14.56 hrs.

RESOLUTION RE: SOCIAL SERVICE BY UNIVERSITY STUDENTS— Contd.

Mr. Deputy-Speaker: The House will now resume further discussion of the Resolution moved by Shri D. C. Sharma on the 16th March 1962 regarding social service by university Students. Dr. K. L. Shrimali may contnue his speech.

The Minister of Education (Dr. K. L. Shrimali); When the licuse rose the other day, I was trying to explain that this idea of national social service was mooted by the Prime Minister recently. But this has not been a new idea altogether. In fact, if we look at the history of our national struggle, we would find that practically all the leaders had laid great emphasis on introduction of some kind of manual labour or social service by the students. Gandhiii focussed our attention on the great value, moral as well as intellectual, of introducing labour in the educational institutions. In fact, his whole concept of basic education developed out of this idea, that is, centering education round some kind of work and making education a little more reaslistic.

Government has been considering as to what we could do to give a concrete shape to this idea which has been with us for the last several years. It would be remembered that this matter was discussed by the Central Advisory Board of Education in 1950, and the Board recommended that manual work should be introduced on a voluntary basis. Again, when the First Five Year Plan was drawn in 1952, great stress was laid over compulsory labour and social service for a period of about one year. So, as early as the First Plan the idea of